

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

संयुक्त निदेशक-सह-संयुक्त सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक 20/03/2012।

विषय : चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2011-12 में राज्य की पंचायती राज संस्थाओं को राज्य के शुद्ध करों के अंतरण से प्राप्त होनेवाली राशि 3,92,07,80,000 रु० (तीन अरब बानबे करोड़ सात लाख अस्सी हजार रु०), असम्बद्ध अनुदान राशि 1,79,85,00,000 रु० (एक अरब उनासी करोड़ पचासी लाख रु०) एवं जिला परिषद के कर्मियों के वेतनादि एवं सेवान्त लाभ हेतु 8,23,20,000 रु० (आठ करोड़ तेईस लाख बीस हजार रु०) अर्थात् कुल 5,80,16,00,000 रु० (पाँच अरब अस्सी करोड़ सोलह लाख रु०) की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद-243-I सह पठित 243-Y के अनुपालन तथा बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 168 एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 71 के प्रावधानों के अन्तर्गत चतुर्थ राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था।

2. चतुर्थ राज्य वित्त आयोग द्वारा राज्य सरकार को समर्पित प्रतिवेदन की समीक्षोपरान्त राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित निर्णय लिया गया है -

- (i) राज्य के शुद्ध कर राजस्व का 7.5 प्रतिशत स्थानीय निकायों को वर्ष 2011-12 से 2014-15 तक अंतरित किया जायेगा। राज्य के शुद्ध कर का आकलन राज्य द्वारा उस वर्ष में संग्रहित कुल कर राजस्व में से संग्रहण व्यय घटाकर किया जायेगा। वर्ष 2011-12 से 2014-15 के लिए कमशः वर्ष 2009-10 से 2012-13 में शुद्ध कर संग्रह को आधार वर्ष रखा गया है। यह राशि राज्य में उक्त संदर्भित वर्ष में शुद्ध कर संग्रह के आधार पर कम या अधिक हो सकती है। पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के बीच इस राशि का अंतरण 70:30 के अनुपात में किया जाना है।
- (ii) उपर्युक्त राशि के अतिरिक्त पंचायती राज संस्थाओं को असम्बद्ध अनुदान के रूप में 180.27 करोड़ रु० प्रति वर्ष की दर से वर्ष 2011-12 से 2014-15 तक कुल 721.08 करोड़ रु० की राशि दी जायेगी।
- (iii) पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न स्तरों ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषदों के लिए राशि का वितरण 70:20:10 के अनुपात में किया जायेगा। इसके क्षैतिज वितरण (Horizontal Distribution) का आधार होगा :

- (क) जिला परिषदों को 10 प्रतिशत हिस्से की राशि जिलों की जनसंख्या के आधार पर वितरित की जायेगी।
- (ख) पंचायत समितियों को 20 प्रतिशत हिस्से की राशि का वितरण 80 प्रतिशत भारांक प्रखंड की जनसंख्या तथा 20 प्रतिशत भारांक प्रखंडों में बी०पी०एल० परिवारों की संख्या के आधार पर किया जायेगा।
- (ग) ग्राम पंचायतों को 70 प्रतिशत प्राप्त होने वाली हिस्से की राशि को बराबर-बराबर सभी पंचायतों को वितरित किया जायेगा।
- (iv) पंचायती राज संस्थाओं द्वारा राज्य के कर राजस्व के हिस्से में प्राप्त हुई राशि में से निम्नांकित उच्च प्राथमिकता क्षेत्रों में व्यय करना अनिवार्य होगा, परन्तु यदि एक प्रक्षेत्र में राशि की बचत होती है तो आवश्यकतानुसार दूसरी प्राथमिकता के प्रक्षेत्रों में व्यय किया जा सकेगा :-
- (क) पेयजल - इस मद में व्यय हेतु प्रतिवर्ष 50.80 करोड़ रु० पंचायत राज संस्थाओं को उपलब्ध कराये जायेंगे।
- (ख) रोड एवं जल-मल निकास (Drainage) - गाँव के कच्चे सड़कों की ब्रीक सोलिंग एवं नाला निर्माण के लिए प्रतिवर्ष 194.60 करोड़ रु० पंचायत राज संस्थाओं को उपलब्ध कराये जायेंगे।
- (ग) स्वच्छता व्यवस्था - सड़कों, नालों, पोखरों, कुओं आदि की सफाई तथा मृत जानवरों एवं लावारिश लाशों के निष्पादन हेतु प्रतिवर्ष 11.43 करोड़ रु० पंचायत राज संस्थाओं को उपलब्ध कराये जायेंगे।
- (घ) पुस्तकालय - पंचायत स्तर पर पुस्तकालय को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिवर्ष 10.16 करोड़ रु० पंचायत राज संस्थाओं को उपलब्ध कराये जायेंगे।
- (च) सड़कों के लिए रोशनी - ग्रामीण सड़कों पर सौर उर्जा लगाने के लिए प्रतिवर्ष 51.00 करोड़ रु० पंचायत राज संस्थाओं को उपलब्ध कराये जायेंगे।

इस प्रकार उच्च प्राथमिकता के प्रक्षेत्रों पर व्यय संबंधी मदवार व्यय निम्नवत् है -

क्र०	अनुशंसित योजनाएँ	वार्षिक व्यय (राशि करोड़ रु० में)
1	2	3
1	पेयजल (Drinking Water)	50.80
2	ब्रिक सोलिंग एवं नाला निर्माण (Brick Soling & Drains)	194.60
3	स्वच्छता (Sanitation)	11.43
4	पुस्तकालय (Libraries)	10.16
5	सड़कों के लिए रोशनी (Street Lighting)	51.00
	योग :-	317.99

- (v) राज्य करों के हिस्से में प्राप्त राशि से उच्च प्राथमिकता के प्रक्षेत्रों में किए गए व्ययों के अतिरिक्त बची हुई राशि पंचायती राज संस्थानों के अन्तर्गत जिला परिषद् के कर्मियों के वेतनादि एवं सेवान्त लाभ का भुगतान किया जाना है।

- (vi) राज्य के शुद्ध कर राजस्व से प्राप्त हुई राशि में से प्राथमिकता प्रक्षेत्रों, वेतन एवं सेवान्त लाभ देय के उपरान्त बची हुई राशि का व्यय पंचायती राज संस्थानों द्वारा अन्य विकास कार्यों के लिए किया जाना है।
- (vii) पंचायती राज संस्थाओं के अन्तर्गत 38 जिला परिषदों, 531 पंचायत समितियों एवं 8463 ग्राम पंचायतों को प्रति संस्था क्रमशः 15 लाख रु०, 1 लाख रु० एवं 2 लाख रु० की राशि असंबद्ध अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। इस राशि का व्यय जिला परिषद्, पंचायत समिति एवं पंचायतों के लेखा संधारण एवं क्षमता निर्माण का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर कराने हेतु किया जाना है।

क्र०	पंचायती राज संस्था	वार्षिक अनुदान (लाख में)	संख्या	वार्षिक अनुदान (लाख में)
1	2	3	4	5
1	जिला परिषद्	15	38	570
2	पंचायत समिति	1	531	531
3	ग्राम पंचायत	2	8463	16926
योग :-				18027

3. वित्त विभाग से प्राप्त सुचनानुसार महालेखाकार द्वारा प्राप्त वित्त लेखे के अनुसार वित्तीय वर्ष 2009-10 में कुल राज्य कर एवं शुद्ध राज्य कर तथा अन्य सूचनार्ये निम्नवत है -

शुद्ध राज्य कर का विवरण (राशि करोड़ रु० में)					
क्र०	वर्ष	कुल राज्य का राजस्व	राज्य कर संग्रहण	शुद्ध राज्य का राजस्व	शुद्ध राज्य कर का 7.5 प्रतिशत हिस्सा
1	2	3	4	5	6
1	2009-10	8089	464.69	7624.98	571.87
2	स्तम्भ 6 का 70 प्रतिशत				400.31
3	उच्च प्राथमिकता क्षेत्र के लिए कर्णांकित राशि				317.99
4.	शेष असम्बद्ध राशि				82.32
5.	असम्बद्ध अनुदान				180.37
कुल (2+5) योग :-					580.58

4. (i) चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय वर्ष 2011-12 में वित्त विभाग के परामर्श के आलोक में राज्य के शुद्ध करों के अंतरण से प्राप्त होने वाली राशि 4,00,31,00,000 रु० (चार अरब एकतीस लाख रु०) के 70:20:10 के अनुपात में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद को वितरण के आधार पर क्रमशः 2,80,21,70,000 रु० (दो अरब अस्सी करोड़ एकतीस लाख सत्तर हजार रु०), 80,06,20,000 रु० (अस्सी करोड़ छः लाख बीस हजार रु०) एवं 40,03,10,000 रु० (चालीस करोड़ तीन लाख दस हजार रु०) दिया जाना है। विदित हो कि इस राशि में उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र में निर्धारित 317.99 करोड़ रु० 70:20:10 के अनुपात में क्रमशः ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के द्वारा व्यय की जानी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के द्वारा उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र में क्रमशः 2,22,59,30,000 रु० (दो अरब बाईस करोड़ उनसठ लाख तीस हजार रु०), 63,59,80,000 रु० (तिरसठ करोड़ उनसठ लाख अस्सी हजार रु०) एवं 31,79,90,000 रु० (एकतीस करोड़ उनासी लाख नब्बे हजार रु०) व्यय किया जाना है। जिला परिषद मद में शेष राशि जिला परिषद के कर्मियों के वेतन भुगतान एवं सेवान्त लाभ में व्यय किया जाना है। ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति मद में शेष बची राशि का व्यय अन्य विकास कार्यक्रम हेतु किया जाना है। इस राशि के वितरण से संबंधित विवरणी निम्न है-

संस्था	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	जिला परिषद	कुल योग
कुल राशि	2,80,21,70,000	80,06,20,000	40,03,10,000	4,00,31,00,000
उच्च प्राथमिकता क्षेत्र	2,22,59,30,000	63,59,80,000	31,79,90,000	3,17,99,00,000
शेष राशि	57,62,40,000	16,46,40,000	8,23,20,000	82,32,00,000

(ii) चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय वर्ष 2011-12 में वित्त विभाग के परामर्श के आलोक में निर्धारित असम्बद्ध अनुदान की राशि 1,80,27,00,000 रु० (एक अरब अस्सी करोड़ सताईस लाख रु०) का वितरण ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद को क्रमशः 1,69,26,00,000 रु० (एक अरब उनहत्तर करोड़ छब्बीस लाख रु०), 5,31,00,000 रु० (पाँच करोड़ एकतीस लाख रु०) एवं 5,70,00,000 रु० (पाँच करोड़ सत्तर लाख रु०) किया जाना है। ग्राम पंचायत की पूर्व की संख्या 8463 में कमी आने के कारण वर्तमान में 8442 ग्राम पंचायतों हेतु निर्धारित राशि अब कम हो जायेगी अर्थात् $8442 \times 2,00,000 = 1,68,84,00,000$ (एक अरब अड़सठ करोड़ चौरासी लाख) रु० देय बनती है।

(iii) राज्य के शुद्ध करों के अंतरण से प्राप्त होने वाली राशि में से जिला परिषद के लिए कर्णांकित राशि 40,03,10,000 रु० (चालीस करोड़ तीन लाख दस हजार रु०) में उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र में निर्धारित 317.99 करोड़ रु० का 10 प्रतिशत अर्थात् 31,79,90,000 रु० (एकतीस करोड़ उनासी लाख नब्बे हजार रु०) जिला परिषद के द्वारा व्यय की जानी हैं। जिला परिषद मद में शेष राशि जिला परिषद के कर्मियों के वेतन भुगतान एवं सेवान्त लाभ में व्यय किया जाना है। इस प्रकार जिला परिषद के कर्मियों के वेतन भुगतान एवं सेवान्त लाभ में व्यय हेतु 8,23,20,000 रु० (आठ करोड़ तेईस लाख बीस हजार रु०) शेष बचता है। इस राशि को जिला परिषदों द्वारा पूर्व में दिये गये कार्यरत कर्मों से संबंधित वेतनादि प्रतिवेदन में से सेवानिवृत्त कर्मों के वेतनादि को धटाते हुए जिलावार आनुपातिक रूप से जिला परिषदों को वितरित की जानी है।

5. चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2011-12 में राज्य की पंचायती राज संस्थाओं को वित्त विभाग के परामर्श के आलोक में राज्य के शुद्ध करों के अंतरण से प्राप्त होनेवाली राशि 3,92,07,80,000 रु० (तीन अरब बानबे करोड़ सात लाख अस्सी हजार रु०), असम्बद्ध अनुदान राशि 1,79,85,00,000 रु० (एक अरब उनासी करोड़ पचासी लाख रु०) एवं जिला परिषद के कर्मियों के वेतनादि एवं सेवान्त लाभ हेतु 8,23,20,000 रु० (आठ करोड़ तेईस लाख बीस हजार रु०) अर्थात् कुल 5,80,16,00,000 रु० (पाँच अरब अस्सी करोड़ सोलह लाख रु०) निम्नांकित रूप से वितरित करने की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गयी है -

(i) चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए राज्य के शुद्ध करों के अंतरण से प्राप्त राशि 3,92,07,80,000 रु० (तीन अरब बानबे करोड़ सात लाख अस्सी हजार रु०) को राज्य की जिला परिषदों, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों के बीच निम्न रूप से वितरित की जाये :-

ग्राम पंचायतों के बीच :- 2,80,21,70,000 रु० (दो अरब अस्सी करोड़ एकतीस लाख सत्तर हजार रु०) राज्य की कुल 8442 ग्राम पंचायतों को समान रूप से संलग्न विवरणी 1 के स्तम्भ 9 के अनुसार जिलावार आवंटित की जाये।

पंचायत समितियों के बीच :- 80,06,20,000 रु० (अस्सी करोड़ छः लाख बीस हजार रु०) राज्य की कुल 531 पंचायत समितियों को 80 प्रतिशत भारांक प्रखंड की जनसंख्या (ग्रामीण) तथा 20 प्रतिशत भारांक प्रखंडों में बी०पी०एल० परिवारों की संख्या के आधार पर विवरणी 1 के स्तम्भ 12 के अनुसार जिलावार आवंटित की जाये।

जिला परिषदों के बीच

:- 31,79,90,000.00 रु० (एकतीस करोड़ उनासी लाख नब्बे हजार रु०) राज्य की कुल 38 जिला परिषदों को जिलों की जनसंख्या (ग्रामीण) के आधार पर विवरणी 1 के स्तम्भ 15 के अनुसार जिलावार आवंटित की जाये।

इस राशि का व्यय, विवरणी 1 के अनुसार, पंचायती राज संस्थाओं द्वारा उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र यथा, पेयजल, गाँव के कच्चे सड़कों की ब्रीक सोलिंग एवं नाला निर्माण, सड़कों, नालों, पोखरों, कुओं आदि की सफाई, मृत जानवरों एवं लावारिश लाशों के निष्पादन, पुस्तकालय को सुदृढ़ करने एवं ग्रामीण सड़कों पर सौर उर्जा लगाने में व्यय करना अनिवार्य होगा, परन्तु यदि एक प्रक्षेत्र में राशि की बचत होती है तो आवश्यकतानुसार दूसरी प्राथमिकता के प्रक्षेत्रों में व्यय किया जा सकेगा। प्राथमिकता प्रक्षेत्रों में व्यय के उपरान्त बची हुई राशि का उपयोग पंचायती राज संस्थाओं द्वारा अन्य विकास कार्यों के लिए किया जायेगा।

(ii) चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर वित्तीय वर्ष 2011-12 की असम्बद्ध अनुदान की राशि 1,79,85,00,000 रु० (एक अरब उनासी करोड़ पचासी लाख रु०) राज्य की जिला परिषदों, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों के बीच निम्न रूप से वितरित की जाये :-

ग्राम पंचायतों के बीच

:- 1,68,84,00,000.00 रु० (एक अरब अड़सठ करोड़ चौरासी लाख रु०) राज्य की कुल 8442 ग्राम पंचायतों को दो लाख रु० प्रति ग्राम पंचायत की दर से विवरणी 2 के स्तम्भ 5 के अनुसार जिलावार आवंटित की जाये।

पंचायत समितियों के बीच

:- 5,31,00,000.00 रु० (पाँच करोड़ एकतीस लाख रु०) राज्य की कुल 531 पंचायत समितियों को एक लाख रु० प्रति पंचायत समिति की दर से विवरणी 2 के स्तम्भ 6 के अनुसार जिलावार आवंटित की जाये।

जिला परिषदों के बीच

:- 5,70,00,000.00 रु० (पाँच करोड़ सत्तर लाख रु०) राज्य की कुल 38 जिला परिषदों को पन्द्रह लाख रु० समान रूप से विवरणी 2 के स्तम्भ 7 के अनुसार जिलावार आवंटित की जाये।

इस राशि का व्यय जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों के लेखा संधारण एवं क्षमता निर्माण कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर कराने हेतु किया जायेगा।

(iii) चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए जिला परिषद के कर्मियों के वेतन भुगतान एवं सेवान्त लाभ हेतु 8,23,20,000 रु० (आठ करोड़ तेईस लाख बीस हजार रु०) राज्य की जिला परिषदों के बीच विवरणी 3 के अनुसार वितरित की जाये।

(iv) चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त राशि को पंचायती राज संस्थाओं को देय वार्षिक राशि दो किशतों में दी जानी है। चूंकि वित्तीय वर्ष 2011-12 समाप्ति की ओर है, अतः इस वित्तीय वर्ष के लिए पूरी राशि एक ही बार में उपर्युक्त के अनुसार स्वीकृत की गयी है। यह शर्त अधिरोपित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2012-13 की राशि इस शर्त के साथ दी जा सकेगी कि इस स्वीकृत की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद द्वारा संबंधित जिला पदाधिकारी को समर्पित किया जायेगा। जिला पदाधिकारी द्वारा अनुश्रवण एवं संतुष्टि के उपरान्त ही राशि की वित्तीय वर्ष 2012-13 में अग्रोत्तर निकासी एवं वास्तविक भुगतान की कार्रवाई की जायेगी।

(v) राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद होंगे, जो राज्य की पंचायत राज संस्थाओं के कोर बैंक खातों में राशि अविलम्ब उपलब्ध करावेंगे। उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् पंचायत राज संस्थाओं को स्वीकृत एवं आवंटित अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय महालेखाकार एवं पंचायती राज विभाग को विहित प्रपत्र में उपलब्ध करावेंगे।

(vi) उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद द्वारा अधीनस्थ पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों को अनुदान राशि वितरित किये जाने में जिला परिषद अध्यक्ष अथवा जिला परिषद की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

6. चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय वर्ष 2011-12 में राशि उपलब्ध कराने हेतु मांग संख्या 16 के अन्तर्गत निम्नांकित बजट शीर्ष से राशि की निकासी की जाएगी -

जिला परिषदों के लिए

गैर योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघु शीर्ष-196-जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0007-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जिला परिषदों को अंशदान-3101-सहायक अनुदान -

इसकी विपत्र कोड संख्या- एन- 2515001960007 है

पंचायत समितियों के लिए

गैर योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघु शीर्ष-197-ब्लॉक पंचायतों/ मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0004-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ब्लॉक पंचायतों को अंशदान-3101-सहायक अनुदान -

इसकी विपत्र कोड संख्या- एन- 2515001970004 है

ग्राम पंचायतों के लिए

गैर योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्यग्राम विकास कार्यक्रम-लघु शीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0009-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को अंशदान-3101-सहायक अनुदान -

इसकी विपत्र कोड संख्या- एन- 2515001980009 है

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 270 के आलोक में फॉर्म 42 पर करेंगे।

8. इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 30.06.2012 तक प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

9. वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार कार्यालय से प्राधिकार पत्र आवश्यक नहीं है। राशि की निकासी के लिए इस विभाग द्वारा अलग से आवंटनादेश निर्गत किया जाएगा, जिसके आलोक में राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा की जाएगी।

10. राज्यादेश में वित्त विभाग की सहमति संचिका संख्या- 5प/गैर योजना-1-18/2011/पं0रा0 के पृ० 35 पर दिनांक 20.03.2012 को प्राप्त है।

11. राज्यादेश में विभागीय प्रधान सचिव की सहमति संचिका संख्या 5प/गैर योजना-1-18/2011/पं0रा0 के पृ० 36 पर दिनांक 20.03.2012 को प्राप्त है

विश्वासभाजन,

संयुक्त निदेशक-सह-संयुक्त सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।
पटना, दिनांक 20-03-2012

ज्ञापांक- 5प/गैर योजना-1-18/2011/पं0रा0/37...../

प्रतिलिपि : सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त निदेशक-सह-संयुक्त सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 5प/गैर योजना-1-18/2011/पं0रा0/37...../

पटना, दिनांक 20-03-2012

प्रतिलिपि : सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक, पंचायत राज/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त निदेशक-सह-संयुक्त सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 5प/गैर योजना-1-18/2011/पं0रा0/37...../

पटना, दिनांक 20-03-2012

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

संयुक्त निदेशक-सह-संयुक्त सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

प्रमोद
Sefandir

विवरणी 1

चतुर्थ राज्य नित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2011-12 की पंचायत राज संस्थाओं को स्वीकृत राशि

क्र. सं.	जिला	पंचायत समिति	पंचायत की संख्या	ग्रामीण जनसंख्या	बी.पी.एल. परिवार की संख्या	ग्राम पंचायतों के लिए स्वीकृत राशि			पंचायत समितियों के लिए स्वीकृत राशि			जिला परिषदों के लिए स्वीकृत राशि			कुल योग		
						उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र हेतु राशि	अन्य विकास कार्य हेतु राशि	कुल	उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र हेतु राशि	अन्य विकास कार्य हेतु राशि	कुल	उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र हेतु राशि	अन्य विकास कार्य हेतु राशि	कुल	उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र हेतु राशि	अन्य विकास कार्य हेतु राशि	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	बक्सर	11	142	1273422	182505	37441609	9692736	47134345	10587360	2740814	13328174	5466157	0	5466157	53495126	12433550	65928676
2.	रोहतास	19	246	2103116	307373	64863632	16791642	81655274	17545632	4542145	22087777	9027614	0	9027614	91436878	21333787	112770665
3.	भोजपुर	14	228	1930730	311577	60117512	15562986	75680498	16404106	4246630	20650736	8287648	0	8287648	84809266	19809616	104618882
4.	नालन्दा	20	249	2016899	348584	65654652	16996418	82651070	17369321	4496502	21865823	8657528	0	8657528	91681501	21492920	113174421
5.	पटना	23	327	2716123	427486	86221169	22320597	108541766	22967721	5945794	28913515	11658943	0	11658943	120847833	28266391	149114224
6.	कैमूर	11	151	1247299	221048	39814668	10307065	50121733	10796854	2795047	13591901	5354024	0	5354024	55965546	13102112	69067658
7.	गया	24	332	2997479	454779	87539536	22661890	110201426	25175463	6517325	31692788	12866662	0	12866662	125581661	29179215	154760876
8.	नवादा	14	187	1671253	215121	49306907	12764378	62071285	13648761	3533338	17182099	7173844	0	7173844	70129512	16297716	86427228
9.	औरंगाबाद	11	203	1842998	275049	53525680	13856517	67382197	15432989	3995232	19428221	7911059	0	7911059	76869728	17851749	94721477
10.	जहानाबाद	7	93	813227	100602	24521617	6348060	30869677	6600329	1708667	8308996	3490772	0	3490772	34612718	8056727	42669445
11.	अरवल	5	68	589476	89446	17929784	4641592	22571376	4951043	1281706	6232749	2530323	0	2530323	25411150	5923298	31334448
12.	सारण	20	326	2913552	411941	85957496	22252338	108209834	24166810	6256209	30423019	12506406	0	12506406	122630712	28508547	151139259
13.	सिवान	16	293	2564860	316706	77256277	19999801	97256078	20811058	5387485	26198543	11009648	0	11009648	109076983	25387286	134464269
14.	गोपालगंज	14	234	2022048	282375	61699552	15972538	77672090	16736624	4332711	21069335	8679630	0	8679630	87115806	20305249	107421055
15.	मुजफ्फरपुर	16	385	3380329	638577	101514221	26279602	127793823	29659429	7678117	37337546	14510044	0	14510044	145683694	33957718	179641412
16.	वैशाली	16	290	2531766	516448	76465257	19795025	96260282	22599202	5850393	28449595	10867592	0	10867592	109932051	25645418	135577469
17.	पू. चम्पारण	27	405	3630955	714786	106787687	27644776	134432463	32149689	8322785	40472474	15585855	0	15585855	154523231	35967561	190490792
18.	प. चम्पारण	18	315	2733907	510719	83057090	21501492	104558582	23929698	6194826	30124524	11735281	0	11735281	118722069	27696318	146418387
19.	सीतामढ़ी	17	273	2529407	506294	71982811	18634627	90617438	22480545	5819675	28300220	10857466	0	10857466	105320822	24454302	129775124
20.	शिवहर	5	53	494699	97165	13974685	3617711	17592396	4378001	1133360	5511361	2123493	0	2123493	20476179	4751071	25227250
21.	भागलपुर	16	242	1970745	318474	63808939	16518607	80327546	16748521	4335791	21084312	8459412	0	8459412	89016872	20854398	109871270
22.	बांका	11	185	1552353	222870	48779561	12627860	61407421	12910346	3342180	16252526	6663467	0	6663467	68353374	15970039	84323413

युम्मे
सफाई
सिलेन
20/8/12

क्र.सं.	जिला	पंचायत समिति	पंचायतों की संख्या	ग्रामीण जनसंख्या	बी०पी०एल० परिवार की संख्या	ग्राम पंचायतों के लिए स्वीकृत राशि			पंचायत समितियों के लिए स्वीकृत राशि			जिला परिषदों के लिए स्वीकृत राशि			कुल योग		
						उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र हेतु राशि	अन्य विकास कार्य हेतु राशि	कुल	उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र हेतु राशि	अन्य विकास कार्य हेतु राशि	कुल	उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र हेतु राशि	अन्य विकास कार्य हेतु राशि	कुल	उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र हेतु राशि	अन्य विकास कार्य हेतु राशि	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
23.	मधुबनी	21	399	3450736	773944	105205647	27235224	132440871	31508862	8156890	39665752	14812265	0	14812265	151526774	35392114	186918888
24.	समस्तीपुर	20	381	3271338	500797	100459527	26006568	126466095	27520655	7124438	34645093	14042200	0	14042200	142022382	33131006	175153388
25.	दरभंगा	18	324	2966238	452809	85430149	22115821	107545970	24941023	6456634	31397657	12732560	0	12732560	123103732	28572455	151676187
26.	सहरसा	10	153	1383015	231392	40342015	10443582	50785597	11833323	3063364	14896687	5936584	0	5936584	58111922	13506946	71618868
27.	मधेपुरा	13	170	1458679	292046	44824461	11603980	56428441	12964992	3356327	16321319	6261372	0	6261372	64050825	14960307	79011132
28.	सुपौल	11	181	1644370	346180	47724867	12354826	60079693	14786539	3827881	18614420	7058449	0	7058449	69569855	16182707	85752562
29.	पूर्णिया	14	251	2321544	420024	66181998	17132936	83314934	20182463	5224757	25407220	9965215	0	9965215	96329676	22357693	118687369
30.	अररिया	9	218	2026257	412063	57480779	14880398	72361177	18074107	4678953	22753060	8697697	0	8697697	84252583	19559351	103811934
31.	किसानगंज	7	126	1167340	292709	33222836	8600597	41823433	10970769	2840069	13810838	5010801	0	5010801	49204406	11440666	60645072
32.	कटिहार	16	238	2174361	358267	62754245	16245573	78999818	18548472	4801756	23350228	9333433	0	9333433	90636150	21047329	111683479
33.	मुंगेर	9	101	819950	143349	26631003	6894130	33525133	7077827	1832280	8910107	3519631	0	3519631	37228461	8726410	45954871
34.	जमुई	10	153	1295552	227851	40342015	10443582	50785597	11196898	2898609	14095507	5561150	0	5561150	57100063	13342191	70442254
35.	बेगूसराय	18	257	2241743	317646	67764038	17542488	85306526	18601378	4815451	23416829	9622670	0	9622670	95988086	22357939	118346025
36.	खगड़िया	7	129	1204027	214487	34013856	8805373	42819229	10433460	2700973	13134433	5168279	0	5168279	49615595	11506346	61121941
37.	लखीसराय	7	80	684485	87764	21093864	5460697	26554561	5586592	1446235	7032827	2938148	0	2938148	29618604	6906932	36525536
38.	शेखपुरा	6	54	444189	64662	14238356	3685969	17924325	3703136	958653	4661789	1906679	0	1906679	19848171	4644622	24492793
कुल		531	8442	74080467	12605915	2225930000	576240000	2802170000	635980000	164640000	800620000	317990000	0	317990000	3179900000	740880000	3926780000

(तीन अरब बानवे करोड़ सात लाख अस्सी हजार रुपये मात्र)

S. Lal
संयुक्त निदेशक-सह-संयुक्त सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना 20/3/12

*Ym to
separately*

विवरणी 2

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2011-12 की स्वीकृत असम्बद्ध अनुदान

क्र० सं०	जिला	पंचायत समिति	पंचायतों की संख्या	ग्राम पंचायतों के लिए स्वीकृत राशि	पंचायत समितियों के लिए स्वीकृत राशि	जिला परिषदों के लिए स्वीकृत राशि	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	बक्सर	11	142	28400000	1100000	1500000	31000000
2.	रोहतास	19	246	49200000	1900000	1500000	52600000
3.	भोजपुर	14	228	45600000	1400000	1500000	48500000
4.	नालन्दा	20	249	49800000	2000000	1500000	53300000
5.	पटना	23	327	65400000	2300000	1500000	69200000
6.	कैमूर	11	151	30200000	1100000	1500000	32800000
7.	गया	24	332	66400000	2400000	1500000	70300000
8.	नवादा	14	187	37400000	1400000	1500000	40300000
9.	औरंगाबाद	11	203	40600000	1100000	1500000	43200000
10.	जहानाबाद	7	93	18600000	700000	1500000	20800000
11.	अरवल	5	68	13600000	500000	1500000	15600000
12.	सारण	20	326	65200000	2000000	1500000	68700000
13.	सिवान	16	293	58600000	1600000	1500000	61700000
14.	गोपालगंज	14	234	46800000	1400000	1500000	49700000
15.	मुजफ्फरपुर	16	385	77000000	1600000	1500000	80100000
16.	वैशाली	16	290	58000000	1600000	1500000	61100000
17.	पू० चम्पारण	27	405	81000000	2700000	1500000	85200000
18.	प० चम्पारण	18	315	63000000	1800000	1500000	66300000
19.	सीतामढ़ी	17	273	54600000	1700000	1500000	57800000
20.	शिवहर	5	53	10600000	500000	1500000	12600000
21.	भागलपुर	16	242	48400000	1600000	1500000	51500000
22.	बांका	11	185	37000000	1100000	1500000	39600000
23.	मधुबनी	21	399	79800000	2100000	1500000	83400000
24.	समस्तीपुर	20	381	76200000	2000000	1500000	79700000
25.	दरभंगा	18	324	64800000	1800000	1500000	68100000
26.	सहरसा	10	153	30600000	1000000	1500000	33100000
27.	मधेपुरा	13	170	34000000	1300000	1500000	36800000
28.	सुपौल	11	181	36200000	1100000	1500000	38800000
29.	पूर्णिया	14	251	50200000	1400000	1500000	53100000
30.	अररिया	9	218	43600000	900000	1500000	46000000
31.	किशनगंज	7	126	25200000	700000	1500000	27400000
32.	कटिहार	16	238	47600000	1600000	1500000	50700000
33.	मुंगेर	9	101	20200000	900000	1500000	22600000
34.	जमुई	10	153	30600000	1000000	1500000	33100000
35.	बेगुसराय	18	257	51400000	1800000	1500000	54700000
36.	खगड़िया	7	129	25800000	700000	1500000	28000000
37.	लखीसराय	7	80	16000000	700000	1500000	18200000
38.	शेखपुरा	6	54	10800000	600000	1500000	12900000
कुल		531	8442	1688400000	53100000	57000000	1798500000

(एक अरब उनासी करोड़ पचासी लाख रु०)

संयुक्त निदेशक-सह-संयुक्त सचिव,
पंचायती राज विभाग, विहार, पटना।

विवरणी 3

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2011-12 में जिला परिषद् के कर्मियों के वेतनादि राशि

क्र० सं०	जिला परिषद् का नाम	स्वीकृत राशि
1	2	3
1.	बक्सर	252518
2.	रोहतास	2758593
3.	भोजपुर	1443302
4.	नालन्दा	2477765
5.	पटना	3195248
6.	कैमूर	848031
7.	गया	2855838
8.	नवादा	2481299
9.	औरंगाबाद	3901519
10.	जहानाबाद	1159723
11.	अरवल	589886
12.	सारण	4027282
13.	सिवान	5992247
14.	गोपालगंज	4141118
15.	मुजफ्फरपुर	1894596
16.	वैशाली	3817402
17.	पू० चम्पारण	4407540
18.	प० चम्पारण	2941798
19.	सीतामढ़ी	4005110
20.	शिवहर	1248880
21.	भागलपुर	1698462
22.	बांका	718977
23.	मधुबनी	3400747
24.	समस्तीपुर	3279075
25.	दरभंगा	2656126
26.	सहरसा	1523577
27.	मधेपुरा	1071765
28.	सुपौल	256073
29.	पूर्णिया	3796768
30.	अररिया	1208397
31.	किशनगंज	573537
32.	कटिहार	1997367
33.	मुंगेर	1018850
34.	जमुई	634678
35.	बेगूसराय	1741011
36.	खगड़िया	1740735
37.	लखीसराय	209325
38.	शेखपुरा	354835
	कुल	82320000

(आठ करोड़ तेईस लाख बीस हजार रु०)

संयुक्त निदेशक-सह-संयुक्त सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

[The page contains faint, illegible markings and several prominent vertical streaks.]

(ii) उपर्युक्त राशि के अतिरिक्त पंचायती राज संस्थाओं के असंबद्ध अनुदान के रूप में 180.27 करोड़ रु० दी जायेगी।

(iii) पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों के लिए राशि का वितरण 70:20:10 के अनुपात में किया जायेगा। इसके क्षैतिज वितरण (**Horizontal Distribution**) का निम्न आधार होगा:

(क) जिला परिषदों के हिस्से की 10 प्रतिशत राशि जिलों की जनसंख्या के आधार पर वितरित की जायेगी।

(ख) पंचायत समितियों के हिस्से की 20 प्रतिशत राशि का वितरण 80 प्रतिशत भारांक प्रखंड की जनसंख्या तथा 20 प्रतिशत भारांक प्रखंडों में बी०पी०एल० परिवारों की संख्या के आधार पर किया जायेगा।

(ग) ग्राम पंचायतों के हिस्से की 70 प्रतिशत राशि को बराबर-बराबर सभी पंचायतों को वितरित किया जायेगा।

(iv) पंचायती राज संस्थाओं द्वारा राज्य के कर राजस्व से प्राप्त राशि में से निम्नांकित उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्रों में व्यय करना अनिवार्य होगा,

इस प्रकार उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्रों पर व्यय संबंधी मदवार व्यय निम्नवत् है—

क्र० सं०	अनुशंसित योजनाएँ	कार्य	वार्षिक व्यय, (करोड़ में)
1	पेय जल	पंचायतों में चापाकल	50.08
2	ब्रिकसोलिंग एवं नाला निर्माण	गाँव के कच्चे सड़को की ब्रिक सोलिंग एवं नाला निर्माण	194.60
3	स्वच्छता	सड़कों, नालों, पोखरों एवं कुओं की सफाई, मृत जानवरों एवं लावारिस लाशों का निष्पादन	11.43
4	पुस्तकालय	पंचायत स्तर पर पुस्तकालय का सुदृढीकरण	10.16
5	सड़कों के लिए रोशनी	ग्रामीण सड़को पर रोशनी हेतु सौर उर्जा लगाने	51.00
6	कुल		317.99

(v) राज्य करों से प्राप्त राशि से उच्च प्राथमिकता के प्रक्षेत्रों में किये गए व्ययों के बाद बची हुई राशि पंचायती राज संस्थाओं के अन्तर्गत जिला परिषद के कर्मियों के वेतनादि एवं सेवान्त लाभ का भुगतान किया जा सकेगा।

(vi) राज्य के शुद्ध कर राजस्व से प्राप्त हुई राशि में से प्राथमिकता प्रक्षेत्रों, वेतन एवं सेवान्त लाभ देने के उपरान्त बची हुई राशि का व्यय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा अन्य विकास कार्यों के लिए किया जायेगा।

(vii) असम्बद्ध अनुदान:- पंचायती राज संस्थाओं के अन्तर्गत 38 जिला परिषदों, 531 पंचायत समितियों एवं 8463 ग्राम पंचायतों को प्रति संस्था क्रमशः रु0 15 लाख, रु0 1 लाख एवं रु0 2 लाख की राशि असम्बद्ध अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। इस राशि से जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों के लेखा संधारण एवं क्षमता निर्माण का कार्य किया जायेगा।

क्र० सं०	पंचायती राज संख्या	वार्षिक अनुदान (लाख रु०)	संख्या	वार्षिक राशि करोड़ में।
1	जिला परिषद	15	38	5.70
2	पंचायत समिति	1	531	5.31
3	ग्राम पंचायत	2	8463	169.26
	योग			180.27

(viii) राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को देय वार्षिक राशि दो किस्तों में दी जायेगी। द्वितीय किस्त की राशि प्रथम किस्त की राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र के आधार पर उपलब्ध कराया जायेगा।

3. (i) सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में वित्तीय वर्ष 2012-13 में राज्य के शुद्ध करों के अंतरण से प्राप्त रु0 493.43 करोड़ (चार अरब तिरानवे करोड़ तैतालीस लाख रु०) का अंतरण ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के बीच 70:20:10 के अनुपात में क्रमशः रु0 345.401 करोड़ (तीन अरब पैतालीस करोड़ चालीस लाख दस हजार रु०), रु0 98.686 करोड़ (अन्धानवे करोड़ अड़सठ लाख साठ हजार रु०) एवं रु0 49.343 करोड़ (उन्चास करोड़ चौतीस लाख तीस हजार रु०) किया जाना है। इस राशि में उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र के लिए निर्धारित रु0 317.99 करोड़ में से ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद द्वारा क्रमशः रु0 222.593 करोड़ (दो अरब बाईस करोड़ उनसठ लाख तीस हजार रु०) रु0 63.598 करोड़ (तिरसठ करोड़ उनसठ लाख अस्सी हजार रु०) एवं रु0 31.799 करोड़ (एकतीस करोड़ उनासी लाख नब्बे हजार रु०) का व्यय किया जाना है। जिला परिषद द्वारा शेष बची राशि का व्यय जिला परिषद के कर्मियों के वेतन/सेवान्त लाभ (बकाया सहित) तथा अन्य विकास योजनाओं पर किया

madan
separat
[Signature]

जा सकेगा तथा ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति द्वारा शेष बची राशि का व्यय अन्य विकास कार्यों हेतु किया जा सकेगा।

इस राशि के वितरण से संबंधित विवरणी निम्न है:

(राशि करोड़ ₹0 में)

क्र०	संस्था	कुल उपलब्ध राशि	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	जिला परिषद्
1	उच्च प्राथमिकता क्षेत्र	317.99	222.593	63.598	31.799
2	जिला परिषद् कर्मियों के वेतन/सेवान्त लाभ एवं अन्य विकास कार्य	175.44	122.808	35.088	17.544
3	कुल राशि	493.43	345.401	98.686	49.343

(ii) प्राप्त असम्बद्ध अनुदान की राशि ₹0 180.27 करोड़ (एक अरब अस्सी करोड़ सताईस लाख ₹0) का वितरण ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के बीच क्रमशः ₹0 168.12 करोड़ (एक अरब अड़सठ करोड़ बारह लाख ₹0), ₹0 5.31 करोड़ (पाँच करोड़ एकतीस लाख ₹0) एवं ₹0 5.70 करोड़ (पाँच करोड़ सतर लाख ₹0) किया जाना है। वित्त विभाग द्वारा गणना किये जाने के समय ग्राम पंचायतों की संख्या 8463 थी। कुछ पंचायतों को नगर पंचायत में परिवर्तित किए जाने के कारण इस संख्या में वर्तमान में कमी आयी है। तत्काल मात्र 8406 ग्राम पंचायत है, जिनकी देयता $8406 \times 2,00,000 = ₹0 168.12$ करोड़ (एक अरब अड़सठ करोड़ बारह लाख ₹0) बनती है।

4. राज्य के शुद्ध करों के अंतरण से प्राप्त राशि में से पंचायती राज संस्थाओं को ₹0 493.43 करोड़ (चार अरब तिरानवे करोड़ तैंतालीस लाख रुपये) एवं इसके अतिरिक्त असम्बद्ध अनुदान के रूप में प्राप्त ₹0 179.13 करोड़ (एक अरब उनासी करोड़ तेरह लाख ₹0) अर्थात् कुल ₹0 672.56 करोड़ (छः अरब बहत्तर करोड़ छप्पन लाख ₹0) निम्नांकित रूप से वितरित किया जायेगा:-

(i) राज्य के शुद्ध करों के अंतरण से प्राप्त राशि ₹0 493.43 करोड़ (चार अरब तिरानवे करोड़ तैंतालीस लाख रुपये) को राज्य के जिला परिषदों, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों के बीच निम्न रूप से वितरित की जाए-

madan
separat
[Signature]

ग्राम पंचायतों के बीच

रु0 345.401 करोड़ (तीन अरब पैतालीस करोड़ चालीस लाख दस हजार रु0) राज्य के कुल 8406 ग्राम पंचायतों को समान रूप से संलग्न विवरणी 1 के स्तम्भ 9 के अनुसार जिलावार आवंटित की जाये।

पंचायत समितियों के बीच

रु0 98.686 (अन्ठानवे करोड़ अड़सठ लाख साठ हजार रु0) राज्य के कुल 531 पंचायत समितियों को 80 प्रतिशत भारांक प्रखंड की जनसंख्या (ग्रामीण) तथा 20 प्रतिशत भारांक प्रखंडों में बी0पी0एल0 परिवारों की संख्या के आधार पर विवरणी 1 के स्तम्भ 12 के अनुसार जिलावार आवंटित की जाये।

जिला परिषदों के बीच

रु0 49.343 (उनचास करोड़ चौतीस लाख तीस हजार रु0) राज्य की 38 जिला परिषदों को जिलों की जनसंख्या (ग्रामीण) के आधार पर विवरणी-1 के स्तम्भ 15 के अनुसार जिलावार आवंटित की जाये। इस राशि में से रु0 17.544 करोड़ का व्यय जिला परिषद के कर्मियों के वेतन/सेवान्त लाभ (बकाया सहित) किया जाय, जिसकी विवरणी-1 के स्तम्भ 14 में अंकित है।

पंचायती राज संस्थाओं द्वारा इस राशि का व्यय, विवरणी-1 के अनुसार, उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र की योजनाओं यथा, पेयजल, गाँव के कच्चे सड़कों के ब्रिक सोलिंग एवं नाला निर्माण, सड़कों, नालों, पोखरों, कुँओं आदि की सफाई, मृत जानवरों एवं लावरिस लाशों के निष्पादन, पुस्तकालय को सुदृढ़ करने एवं ग्रामीण सड़कों पर सौर-ऊर्जा पर ही किया जाएगा। ग्रामीण सड़कों पर सौर उर्जा लगाने के लिए राज्य सरकार की नोडल एजेन्सी के रूप में बिहार रिन्युएबल इनर्जी डेवलपमेंट एजेन्सी (ब्रेडा) को वित्त विभाग के संकल्प संख्या-सं0 एम-4-30/2012-9370/वि0(2) दिनांक-05.09.2012 द्वारा अधिकृत किया गया है। अतएव इस मद में प्राप्त राशि से सौर उर्जा सयत्र के संबंध में पंचायती राज विभाग द्वारा निर्गत विस्तृत दिशा निर्देश जिसमें बिहार रिन्युएबल इनर्जी डेवलपमेंट एजेन्सी (ब्रेडा) द्वारा निर्धारित मानक एवं मानदंडों का उल्लेख है, का अक्षरशः अनुपालन करते हुए ही व्यय किया जायेगा। उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र में निर्धारित रु0 317.99 करोड़ को 70:20:10 के अनुपात में क्रमशः ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों के द्वारा व्यय किया जायगा। इस प्रकार ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के द्वारा उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र में क्रमशः रु0 222.593 करोड़ (दो अरब बाईस करोड़ उनसठ लाख तीस हजार रु0) रु0 63.598 करोड़ (तिरसठ करोड़ उनसठ लाख अस्सी हजार रु0) एवं रु0 31.799 करोड़ (एकतीस करोड़ उनासी लाख नब्बे हजार रु0) व्यय किया जाना है। जिला परिषदों के पास शेष बची राशि रु0 17.544 करोड़ का व्यय जिला परिषद के कर्मियों के वेतन/सेवान्त लाभ (बकाया सहित) तथा अन्य विकास योजनाओं पर किया जा सकेगा तथा ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों में क्रमशः अवशेष

modar
g.pandey

[Signature]

राशि रू0 122.808 करोड़ तथा एवं रू0 35.088 करोड़ का व्यय अन्य विकास कार्यों हेतु ही किया जायेगा।

(ii) चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर वित्तीय वर्ष 2012-13 में असम्बद्ध अनुदान की राशि रू0 179.13 (एक अरब उनासी करोड़ तेरह लाख रू0) राज्य के जिला परिषदों, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों के बीच निम्नांकित रूप से वितरित की जाए:-

ग्राम पंचायतों के बीच रू0 168.12 करोड़ (एक अरब अड़सठ करोड़ बारह लाख रू0)
— राज्य के कुल 8406 ग्राम पंचायतों को दो लाख रू0 प्रति ग्राम पंचायत की दर से विवरणी 2 स्तम्भ 5 के अनुसार जिलावार आवंटित की जाये।

पंचायत समितियों के बीच रू0 5.31 करोड़ (पाँच करोड़ एकतीस लाख रू0) राज्य के कुल
— 531 पंचायत समितियों को एक लाख रू0 प्रति पंचायत समिति की दर से विवरणी 2 स्तम्भ 6 के अनुसार जिलावार आवंटित की जाये।

जिला परिषदों के बीच रू0 5.70 करोड़ (पाँच करोड़ सत्तर लाख रू0) राज्य के कुल 38
— जिला परिषदों को पन्द्रह लाख रू0 प्रति जिला परिषद् की दर से विवरणी 2 के स्तम्भ 7 के अनुसार जिलावार आवंटित की जाये।

इस राशि का व्यय जिला परिषदों, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों द्वारा लेखा संधारण एवं क्षमता निर्माण कार्य, जैसे कम्प्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, फैक्स मशीन, टेलीफोन, इन्टरनेट कनेक्शन, कम्प्यूटर टेबुल, एवं संबंधित उपस्कर का क्रय, उसका रख रखाव, तथा इन उपकरणों के संचालन एवं अंकेक्षण कार्य हेतु आउटसोर्स कर्मियों की सेवाएँ लेने पर किया जायेगा।

(iii) जिला परिषद के कर्मियों के वेतन/सेवान्त लाभ (बकाया सहित) के लिए दी गई राशि का व्यय निम्नवत किया जाएगा:-

(क) 31.03.2009 तक सेवा निवृत्त कर्मियों के सेवान्त लाभ एवं बकाया वेतन का कम से कम 60% राशि का भुगतान,

(ख) 31.03.2011 तक सेवा निवृत्त कर्मियों के सेवान्त लाभ एवं बकाया वेतन का कम से कम 40% राशि का भुगतान,

(ग) 31.03.2011 के बाद सेवा निवृत्त कर्मियों के सेवान्त लाभ एवं बकाया वेतन का कम से कम 30% राशि का भुगतान, एवं

(घ) उपरोक्त रूप से सेवा निवृत्त कर्मियों के सेवान्त लाभ एवं बकाया वेतन के भुगतान के उपरान्त शेष राशि से कार्यरत कर्मियों का वेतन भुगतान एवं सेवानिवृत्त कर्मियों के अवशेष बकाया का भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

5. (क) चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्रति वर्ष प्राप्त राशि को पंचायती राज संस्थाओं को दो किस्तों में दिया जाना है। दिनांक 26.07.2012 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर प्राप्त होने वाली अनुदान की राशि के उपयोग एवं कार्य प्रगति की समीक्षा के कार्यवाही में यह अंकित किया गया कि यदि पंचायती राज संस्थाओं से उक्त मद में हस्तान्तरित राशि का व्यय विवरणी नहीं भेजा जाता है, तो उन्हें अन्य मदों में दी जाने वाली राशि तब तक आवंटित नहीं की जाएगी जब तक वे प्रशासी विभाग को व्यय विवरणी उपलब्ध नहीं करा देते हैं। इसके अतिरिक्त माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न अवमाननावादों एवं याचिकाओं में दिए गए आदेश कि जिला परिषदों के सेवानिवृत्त कर्मियों एवं कार्यरत कर्मियों को बकाया राशि को शीघ्र भुगतान सुनिश्चित की जाए, के आलोक में विभाग के स्तर से वित्त विभाग के परामर्श से जिला परिषद के कर्मियों के अद्यतन वेतन एवं सेवान्त लाभ (बकाया सहित) देने के उपाय पर विचार किए जा रहे थे, में वित्त विभाग का परामर्श हुआ कि अगले वित्तीय वर्ष के लिए संशोधन का प्रस्ताव भेजा जाए। अब चूंकि वित्तीय वर्ष 2012-13 समाप्ति पर है इसलिए इस वित्तीय वर्ष की पूरी राशि एकमुश्त विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई है।

(ख) राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद होंगे, जो राज्य की पंचायत राज संस्थाओं के कोर बैंक खातों में राशि अविलम्ब उपलब्ध करायेंगे।

(ग) उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद पंचायती राज संस्थाओं को स्वीकृत एवं आवंटित अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय महालेखाकार एवं उसकी अन्य प्रति के साथ पंचायती राज विभाग को भी विहित प्रपत्र में उपलब्ध करायेंगे। यह शर्त अधिरोपित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 की राशि इस शर्त के साथ दी जा सकेगी कि स्वीकृत की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद द्वारा महालेखाकार को समर्पित किया जायेगा। इसके उपरान्त ही वित्तीय वर्ष 2013-14 में अग्रंत्तर निकासी एवं वास्तविक भुगतान की कार्रवाई की जायेगी।

6. चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय वर्ष 2012-13 में राशि उपलब्ध कराने हेतु माँग संख्या-16 में निम्नांकित बजट शीर्ष के अन्तर्गत राशि उपबंधित है:



मानक
संशोधन

जिला परिषदों के लिए

गैर योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघु शीर्ष-196-जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0007-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जिला परिषदों को अंशदान विपत्र कोड N2515001960007, विषयशीर्ष 3104 सहायक अनुदान-वेतन; 3105 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण एवं 3106 सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा।

पंचायत समिति के लिए

गैर योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघु शीर्ष-197-ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0004-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ब्लॉक पंचायतों को अंशदान विपत्र कोड-N2515001970004, विषयशीर्ष 3105 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण एवं 3106 सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा।

ग्राम पंचायतों के लिए

गैर योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघु शीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0009-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को अंशदान विपत्र कोड N2515001980009, विषयशीर्ष 3105 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण एवं 3106 सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 270 के आलोक में फॉर्म 42 पर करेंगे।
8. इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक-30.04.2013 तक प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।
9. वित्त विभाग के पत्रांक-7355 दिनांक-05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार कार्यालय से प्राधिकार पत्र आवश्यक नहीं है। राशि की निकासी के लिए इस विभाग द्वारा अलग से आवंटनादेश निर्गत किया जाएगा, जिसके आलोक में राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा की जाएगी।
10. मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त है।
11. राज्यादेश में वित्त विभाग की सहमति संचिका संख्या-5प/गैर योजना-1-18/2011/पं0 रा0 के पृ0.100/प पर दिनांक-15/03/2013 को प्राप्त है।
12. राज्यादेश में विभागीय प्रधान सचिव की सहमति संचिका संख्या-5प/गैर योजना-1-18/2011/पं0रा0 के पृ 101 दिनांक 18/03/2013 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

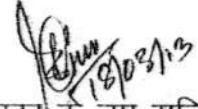
सरकार के उप सचिव

made in
s.c.p.m.s

ज्ञापांक-5प/गैर योजना-1-18/2011/पं0रा0 - 47

पटना, दिनांक 18-03-2013

प्रतिलिपि:- सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त-सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



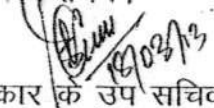
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-5प/गैर योजना-1-18/2011/पं0रा0 - 47

पटना, दिनांक 18-03-2013

प्रतिलिपि:- सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक, पंचायत राज/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, पंचायती राज विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई0टी0 मैनेजर को निदेश दिया जाता है कि राज्यादेश की प्रति संबंधित सभी पदाधिकारियों को ई-मेल भेजेंगे तथा उसे तत्काल विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध करायेगे।

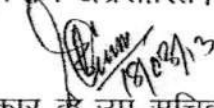


सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-5प/गैर योजना-1-18/2011/पं0रा0 - 47

पटना, दिनांक 18-03-2013

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ अग्रसारित।



सरकार के उप सचिव



विवरणी-1

वर्तुष्ट राज्ठ वल्ल आरुग कल अनुशंसा कल आलोक कल वल्लल वरुष 2012-13 कल पंचायत राज सस्थालु कल स्वीकृत राशल

क्र० सं०	जल्ला	पंचायत समलतल	पंचायतल कल संख्या	ग्रामीण जनसंख्या	बी०पी०एल० पारललर कल संख्या	ग्राम पंचायतल कल ललए स्वीकृत राशल			पंचायत समलतलल कल ललए स्वीकृत राशल			जल्ला पारलषदल कल ललए स्वीकृत राशल			कुल रूग			
						रुख्य प्राथमलकता प्रक्षेत्र हलतु राशल	अन्य वलकास कारं हलतु राशल	कुल	रुख्य प्राथमलकता प्रक्षेत्र हलतु राशल	अन्य वलकास कारं हलतु राशल	कुल	रुख्य प्राथमलकता प्रक्षेत्र हलतु राशल	जल्ला पारलषदल कल ललए कल वलतन/सेवान्त ललग (बकाया सहलत) एवं अन्य वलकास कारं	कुल	रुख्य प्राथमलकता प्रक्षेत्र हलतु राशल	जल्ला पारलषदल कल ललए कल वलतन/सेवान्त ललग (बकाया सहलत) एवं अन्य वलकास कारं	ग्राम पंचायत एवं पंचायत समलतल कल ललए अन्य वलकास कारं हलतु राशल	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	बक्सर	11	142	1273422	182505	37601958	20745582	58347540	10636678	5868419	16505094	5496979	3032768	8529748	53735615	3032768	26614000	83382382
2.	रोहतास	19	246	2103116	307373	65141420	35939529	101080949	17627080	9725132	27352212	9078518	5008759	14087277	91847018	5008759	45684661	142520439
3.	भोजपुर	14	228	1930730	311577	60374975	33309807	93884782	16478877	9091651	25570528	8334380	4598206	12932586	85188232	4598206	42401459	132187897
4.	नालन्दा	20	249	2016899	346584	65935828	36377816	102313644	17447430	9626017	27073446	8706346	4803425	13509771	92089803	4803425	46003833	142896861
5.	पटना	23	327	2716123	427486	86590425	47773276	134363701	23072908	12729680	35802589	11724685	6468690	18193375	121388018	6468690	60502957	188359665
6.	कैमूर	11	151	1247299	221048	39985181	22060443	62045623	10845158	5983441	16828599	5384214	2970554	8354768	56214553	2970554	28043884	87228990
7.	गया	24	332	2997479	454779	87914437	48503754	136418192	25291546	13953737	39245284	12939214	7138765	20077979	126145198	7138765	62457492	195741454
8.	नवादा	14	187	1671253	215121	49518072	27319886	76837957	13713484	7565941	21279425	7214296	3980239	11194534	70445851	3980239	34885827	109311917
9.	औरंगाबाद	11	204	1842998	275049	54019714	29803512	83823226	15504363	8553997	24058359	7956667	4389265	12344932	77479745	4389265	38357508	120226518
10.	जहानाबाद	7	93	813227	100602	24626635	13586895	38213530	6631822	3658879	10290701	3510456	1936773	5447229	34768913	1936773	17245774	53951480
11.	अरवल	5	65	547395	89446	17212164	9496217	26708381	4683230	2583810	7267040	2362939	1303670	3686610	24258333	1303670	12080027	37642030
12.	सारन	20	323	2883203	411941	85531215	47188894	132720108	24070031	13279808	37349839	12445919	6866606	19312525	122047165	6866606	60468702	189382472
13.	सिधान	16	293	2564860	316706	77587139	42806024	120393163	20910387	11536584	32448971	11071728	6108444	17180172	109569254	6108444	54342608	170020306
14.	गोपालगंज	14	234	2022048	282375	61963790	34186381	96150171	16814931	9277058	26091989	8728572	4815688	13544261	87607284	4815688	43463439	135786421
15.	मुजफ्फरपुर	16	385	3380329	638577	101948971	56246824	158195795	29790339	16435791	46226130	14591882	8050556	22642418	146331172	8050556	72682614	227064343
16.	वैशाली	16	290	2531766	518448	76792731	42367737	119160469	22697249	12522423	35219673	10928871	6029627	16958499	110418852	6029627	54890161	171338840
17.	पू० बल्लारण	27	405	3630955	714786	107248021	59168737	168413758	32290305	17815061	50105365	15673739	8647444	24321184	155209066	8647444	76563797	240840307
18.	प० बल्लारण	18	316	2733907	510719	83412794	48020128	129432923	24036574	13280798	37296371	11801453	6511044	18312497	119249821	6511044	59280926	185041792
19.	सीतामढ़ी	17	273	2529407	506294	72291089	39884111	112175200	22578501	12458908	35035409	10918688	6024009	18942697	105788278	6024009	52341019	164153306
20.	शिवहर	5	53	494699	97165	14034534	7743069	21777603	4397159	2425981	6823140	2135467	1178170	3313637	20567160	1178170	10169050	31914379
21.	भागलपुर	16	242	1970745	318474	64082210	35355146	99437357	16824841	9282525	26107367	8507113	4693506	13200618	89414164	4693506	44637672	138745342

क्र. सं.	जिला	पंचायत समिति	पंचायत की संख्या	ग्रामीण जनसंख्या	बीपीएल परिवार की संख्या	ग्राम पंचायतों के लिए स्वीकृत राशि			पंचायत समितियों के लिए स्वीकृत राशि			जिला परिषदों के लिए स्वीकृत राशि			कुल राशि			
						उच्च प्राथमिकता क्षेत्र हेतु राशि	अन्य विकास कार्य हेतु राशि	कुल	उच्च प्राथमिकता क्षेत्र हेतु राशि	अन्य विकास कार्य हेतु राशि	कुल	उच्च प्राथमिकता क्षेत्र हेतु राशि	जिला परिषदों के कर्मियों के वेतन/सेवान्तर लाभ (बकाया सहित) एवं अन्य विकास कार्य	कुल	उच्च प्राथमिकता क्षेत्र हेतु राशि	जिला परिषदों के कर्मियों के वेतन/सेवान्तर लाभ (बकाया सहित) एवं अन्य विकास कार्य	ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति के लिए अन्य विकास कार्य हेतु राशि	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
22.	बांका	11	185	1552353	222870	48988467	27027895	76016161	12970464	7156005	20128469	6701040	3697068	10398108	68859971	3697068	34183700	106540738
23.	मधुबनी	21	399	3450736	773944	105656206	58292163	163948369	31642498	17457656	49100154	14895788	8218237	23114025	152194493	8218237	75749818	236162547
24.	समस्तीपुर	20	381	3271338	500797	100889761	55662441	156552202	27647343	15253467	42900810	14121361	7790984	21912365	142688485	7790984	70915908	221365377
25.	दरभंगा	18	324	2966236	452809	85796017	47334989	133131006	25055896	13823725	38879621	12804356	7084361	19888717	123656269	7084361	61158714	191879345
26.	सहरसा	10	153	1383015	231392	40514786	22352634	62867420	11888883	6556177	18445060	5970059	3293774	9263833	58371728	3293774	28910811	90576313
27.	मधेपुरा	13	170	1458679	292046	45016429	24836260	69852689	13021483	7184153	20205636	6296678	3473975	9770653	84334589	3473975	32020413	99828977
28.	सुपौल	11	181	1644370	346180	47929256	26443312	74372568	14850220	8193098	23043316	7098250	3916214	11014464	69877727	3916214	34636408	108430349
29.	पूर्णिमा	14	246	2267488	420024	65141420	35939529	101080949	19899020	10976597	30877617	9788063	5400226	15188288	94828503	5400226	46916126	147146855
30.	अररिया	9	218	2026267	412063	57726950	31648851	89575801	18152677	10015058	28167635	8746741	4825712	13572454	84626268	4825712	41883908	131315889
31.	किशनगंज	7	126	1167340	292709	33365118	18408051	51773169	11015976	6077684	17093660	5039055	2780125	7819180	48420149	2780125	24485736	76886009
32.	कटिहार	16	238	2161122	358267	63023000	34770764	97793764	18541240	10229489	28770729	9328913	5146905	14475818	90893154	5146905	45000253	141040312
33.	मुंगेर	9	101	819950	143349	28745055	14755860	41500715	7109581	3922466	11032047	3539477	1952784	5492262	37394113	1952784	18678126	58025024
34.	जमुई	10	153	1295552	227851	40514786	22352634	62867420	11247071	6205193	17452254	5592506	3085473	8677981	57354365	3085473	28557817	88997655
35.	बेगुसराय	18	231	1986089	317646	61169383	33748094	94917477	16784329	9260174	26044503	8487014	4682417	13169431	86440726	4682417	43008268	134131411
36.	खगड़िया	7	129	1204027	214487	34159525	18646338	53005864	10480088	5782027	16262115	5197422	2867498	8064920	49837036	2867498	24628365	77332899
37.	लखीसराय	7	80	684485	87764	21184202	11687652	32871853	5613100	3096834	8709934	2954716	1630162	4584878	29752017	1630162	14784486	46166665
38.	शेखपुरा	6	54	444189	64862	14299336	7889166	22188501	3720340	2052569	5772909	1917430	1057876	2975306	19937106	1057876	9941734	30936716
कुल		531	8406	73865088	12605915	2225930000	1228080000	3454010000	635980000	350880000	986860000	317990000	175440000	493430000	3179900000	175440000	1576980000	4934300000

(द्वार अरब सिराम्बे करोड़ सैतालीस लाख रुपये मात्र)

उप सचिव,

पंचायती राज विभाग, बिहार पटना

विवरणी-2
असंबद्ध अनुदान

क्र० सं०	जिला	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायतों के लिए स्वीकृत राशि	पंचायत समितियों के लिए स्वीकृत राशि	जिला परिषदों के लिए स्वीकृत राशि	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	बक्सर	11	142	28400000	1100000	1500000	31000000
2.	रोहतास	19	246	49200000	1900000	1500000	52600000
3.	भोजपुर	14	228	45600000	1400000	1500000	48500000
4.	नालन्दा	20	249	49800000	2000000	1500000	53300000
5.	पटना	23	327	65400000	2300000	1500000	69200000
6.	कैमूर	11	151	30200000	1100000	1500000	32800000
7.	गया	24	332	66400000	2400000	1500000	70300000
8.	नवादा	14	187	37400000	1400000	1500000	40300000
9.	औरंगाबाद	11	204	40800000	1100000	1500000	43400000
10.	जहानाबाद	7	93	18600000	700000	1500000	20800000
11.	अरवल	5	65	13000000	500000	1500000	15000000
12.	सारण	20	323	64600000	2000000	1500000	68100000
13.	सिवान	16	293	58600000	1600000	1500000	61700000
14.	गोपालगंज	14	234	46800000	1400000	1500000	49700000
15.	मुजफ्फरपुर	16	385	77000000	1600000	1500000	80100000
16.	वैशाली	16	290	58000000	1600000	1500000	61100000
17.	पूँ	27	405	81000000	2700000	1500000	85200000
18.	प०	18	315	63000000	1800000	1500000	66300000
19.	सीतामढ़ी	17	273	54600000	1700000	1500000	57800000
20.	शिवहर	5	53	10600000	500000	1500000	12600000
21.	भागलपुर	16	242	48400000	1600000	1500000	51500000
22.	बाँका	11	185	37000000	1100000	1500000	39600000
23.	मधुबनी	21	399	79800000	2100000	1500000	83400000
24.	समस्तीपुर	20	381	76200000	2000000	1500000	79700000
25.	दरभंगा	18	324	64800000	1800000	1500000	68100000
26.	सहरसा	10	153	30600000	1000000	1500000	33100000
27.	मधेपुरा	13	170	34000000	1300000	1500000	36800000
28.	सुपौल	11	181	36200000	1100000	1500000	38800000
29.	पूर्णिमा	14	246	49200000	1400000	1500000	52100000
30.	अररिया	9	218	43600000	900000	1500000	46000000
31.	किशनगंज	7	126	25200000	700000	1500000	27400000
32.	कटिहार	16	238	47600000	1600000	1500000	50700000
33.	मुंगेर	9	101	20200000	900000	1500000	22600000
34.	जमुई	10	153	30600000	1000000	1500000	33100000
35.	बेगुसराय	18	231	46200000	1800000	1500000	49500000
36.	खगड़िया	7	129	25800000	700000	1500000	28000000
37.	लखीसराय	7	80	16000000	700000	1500000	18200000
38.	शेखपुरा	6	54	10800000	600000	1500000	12900000
	कुल	531	8405	1681200000	53100000	57000000	1791300000

उप सचिव,

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।



पत्रांक-5प/गैर योजना-1-04/2013/प0रा0/.....01...../

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

सुशान्त कुमार
सरकार के उप सचिव

सेवा में,

महालेखाकार बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक.....30...../.....4...../2013.

8/9

विषय: चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2013-14 में राज्य के शुद्ध करों के अंतरण से प्राप्त होनेवाली राशि 636.124 करोड़ रु० (छः अरब छतीस करोड़ बारह लाख चालीस हजार रु०) एवं इसके अतिरिक्त असम्बद्ध अनुदान के रूप में प्राप्त राशि 179.13 करोड़ रु० (एक अरब उनासी करोड़ तेरह लाख रु०) अर्थात् कुल 815.254 करोड़ रु० (आठ अरब पन्द्रह करोड़ पचीस लाख चालीस हजार रु०) को पंचायती राज संस्थाओं को उपलब्ध कराने की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार ने चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2013-14 में राज्य के शुद्ध करों के अंतरण से प्राप्त होनेवाली राशि 636.124 करोड़ रु० (छः अरब छतीस करोड़ बारह लाख चालीस हजार रु०) एवं इसके अतिरिक्त असम्बद्ध अनुदान के रूप में प्राप्त राशि 179.13 करोड़ रु० (एक अरब उनासी करोड़ तेरह लाख रु०) अर्थात् कुल 815.254 करोड़ रु० (आठ अरब पन्द्रह करोड़ पचीस लाख चालीस हजार रु०) को पंचायती राज संस्थाओं को स्वीकृत करने की कृपा की है।

2. चतुर्थ राज्य वित्त आयोग द्वारा राज्य सरकार को समर्पित प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित निर्णय लिए गए हैं-

- वर्ष 2011-12 से 2014-15 के बीच राज्य के शुद्ध कर राजस्व की 7.5 प्रतिशत राशि, जो स्थानीय निकायों को अंतरित किया जायेगा, का अंतरण पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के बीच 70:30 के अनुपात में किया जाएगा।
- उपर्युक्त राशि के अतिरिक्त पंचायती राज संस्थाओं के असम्बद्ध अनुदान के रूप में 180.27 करोड़ रु० दी जायेगी।
- पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों के लिए राशि का वितरण 70:20:10 के अनुपात में किया जायेगा। इसके क्षैतिज वितरण (Horizontal Distribution) का निम्न आधार होगा:

R.No.-861
21/10/13

Signature

Signature

Signature

Attested
21.10.13
Deputy Development Commissioner
Cum Chief Executive Officer
ZILA PARISHAD, ARARIA

(क) जिला परिषदों के हिस्से की 10 प्रतिशत राशि जिलों की जनसंख्या के आधार पर वितरित की जायेगी।

(ख) पंचायत समितियों के हिस्से की 20 प्रतिशत राशि का वितरण 80 प्रतिशत भारांक प्रखंड की जनसंख्या तथा 20 प्रतिशत भारांक प्रखंडों में बी0पी0एल0 परिवारों की संख्या के आधार पर किया जायेगा।

(ग) ग्राम पंचायतों के हिस्से की 70 प्रतिशत राशि को बराबर-बराबर सभी पंचायतों को वितरित किया जायेगा।

(iv) पंचायती राज संस्थाओं द्वारा राज्य के कर राजस्व से प्राप्त राशि में से निम्नांकित उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्रों में व्यय करना अनिवार्य होगा:-

इस प्रकार उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्रों पर व्यय संबंधी मदवार व्यय निम्नवत् है—

क्र० सं०	अनुशंसित योजनाएँ	कार्य	वार्षिक व्यय (करोड़ में)
1	पेय जल	पंचायतों में चापाकल	50.08
2	ब्रिकसोलिंग एवं नाला निर्माण	गाँव के कच्चे सड़कों की ब्रिक सोलिंग एवं नाला निर्माण	194.60
3	स्वच्छता	सड़कों, नालों, पोखरों एवं कुओं की सफाई, मृत जानवरों एवं लावारिस लाशों का निष्पादन	11.43
4	पुस्तकालय	पंचायत स्तर पर पुस्तकालय का सुदृढीकरण	10.16
5	सड़कों के लिए रोशनी	ग्रामीण सड़कों पर रोशनी हेतु सौर उर्जा लगाने	51.00
6	कुल		317.99

(v) राज्य करों से प्राप्त राशि से उच्च प्राथमिकता के प्रक्षेत्रों में किये गए व्ययों के बाद बची हुई राशि पंचायती राज संस्थाओं के अन्तर्गत जिला परिषद के कर्मियों के वेतनादि एवं सेवान्त लाभ का भुगतान किया जा सकेगा।

(vi) राज्य के शुद्ध कर राजस्व से प्राप्त हुई राशि में से प्राथमिकता प्रक्षेत्रों, वेतन एवं सेवान्त लाभ देने के उपरान्त बची हुई राशि का व्यय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा अन्य विकास कार्यों के लिए किया जायेगा।

(vii) असम्बद्ध अनुदान:- पंचायती राज संस्थाओं के अन्तर्गत 38 जिला परिषदों, 531 पंचायत समितियों एवं 8463 ग्राम पंचायतों को प्रति संस्था क्रमशः रु0 15 लाख, रु0 1 लाख एवं रु0 2 लाख की राशि असम्बद्ध अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई

Attested

Deputy Development Commissioner
Cum Chief Executive Officer
ZIL & PAR, ...

जाएगी। इस राशि से जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों के लेखा संधारण एवं क्षमता निर्माण का कार्य किया जायेगा।

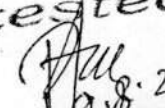
क्र० सं०	पंचायती राज संख्या	वार्षिक अनुदान (लाख रु०)	संख्या	वार्षिक राशि करोड़ में।
1	जिला परिषद	15	38	5.70
2	पंचायत समिति	1	531	5.31
3	ग्राम पंचायत	2	8463	169.26
	योग			180.27

(viii) राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को देय वार्षिक राशि दो किश्तों में दी जायेगी। द्वितीय किस्त की राशि प्रथम किस्त की राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र के आधार पर उपलब्ध कराया जायेगा।

3. (i) सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में वित्तीय वर्ष 2013-14 में राज्य के शुद्ध करों के अंतरण से प्राप्त 636.124 करोड़ रु० (छः अरब छतीस करोड़ बारह लाख चालीस हजार रु०) का अंतरण ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के बीच 70:20:10 के अनुपात में क्रमशः 445.305 करोड़ रु० (चार अरब पैतालीस करोड़ तीस लाख पाँच हजार रु०), 127.23 करोड़ रु० (एक करोड़ सताईस लाख तेइस हजार रु०) एवं 63.589 करोड़ रु० (तिरसठ करोड़ अठावन लाख नब्बे हजार रु०) किया जाना है। इस राशि में उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र के लिए निर्धारित 317.99 करोड़ रु० में से ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद द्वारा क्रमशः 222.593 करोड़ रु० (दो अरब बाईस करोड़ उनसठ लाख तीस हजार रु०) 63.598 करोड़ रु० (तिरसठ करोड़ उनसठ लाख अस्सी हजार रु०) एवं 31.799 करोड़ रु० (एकतीस करोड़ उनासी लाख नब्बे हजार रु०) का व्यय किया जाना है। जिला परिषद द्वारा शेष बची राशि (31.79 करोड़ रु०) का व्यय जिला परिषदों के कर्मियों के वेतन/सेवान्त लाभ तथा अन्य विकास योजनाओं पर किया जा सकेगा तथा ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों द्वारा शेष बची राशि का व्यय अन्य विकास कार्यों हेतु किया जा सकेगा। इस राशि के वितरण से संबंधित विवरणी निम्न है:

(राशि करोड़ रु० में)

क्र०	संस्था	कुल उपलब्ध राशि	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	जिला परिषद
1	उच्च प्राथमिकता क्षेत्र	317.99	222.593	63.598	31.799
2	अन्य विकास कार्य एवं जिला परिषद कर्मियों के वेतन/सेवान्त लाभ	318.134	222.712	63.632	31.790
3	कुल राशि	636.124	445.305	127.230	63.589

Attested

 19.8.21
 Deputy Development Commissioner
 Cum Chief Executive Officer
 ZILA PARISHAD, ARARIA

(ii) प्राप्त असम्बद्ध अनुदान की राशि 180.27 करोड़ रु० (एक अरब अस्सी करोड़ सताईस लाख रु०) का वितरण ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के बीच क्रमशः 168.12 करोड़ रु० (एक अरब अड़सठ करोड़ बारह लाख रु०), 5.31 करोड़ रु० (पाँच करोड़ एकतीस लाख रु०) एवं 5.70 करोड़ रु० (पाँच करोड़ सत्तर लाख रु०) किया जाना है। वित्त विभाग द्वारा गणना किये जाने के समय ग्राम पंचायतों की संख्या 8463 थी। कुछ पंचायतों को नगर पंचायत में परिवर्तित किए जाने के कारण इस संख्या में वर्तमान में कमी आयी है। तत्काल मात्र 8406 ग्राम पंचायत हैं जिनकी देयता $8406 \times 2,00,000 = 168.12$ करोड़ रु० (एक अरब अड़सठ करोड़ बारह लाख रु०) बनती है।

4. राज्य के शुद्ध करों के अंतरण से प्राप्त राशि में से पंचायती राज संस्थाओं को 636.124 करोड़ रु० (छः अरब छत्तीस करोड़ बारह लाख चालीस हजार रुपये) एवं इसके अतिरिक्त असम्बद्ध अनुदान के रूप में प्राप्त 179.13 करोड़ रु० (एक अरब उनासी करोड़ तेरह लाख रु०) अर्थात् कुल 815.254 करोड़ रु० (आठ अरब पन्द्रह करोड़ पच्चीस लाख चालीस हजार रु०) की स्वीकृति से संबंधित निम्न प्रस्ताव है:

(i) राज्य के शुद्ध करों के अंतरण से प्राप्त राशि 636.15 करोड़ रु० (छः अरब छत्तीस करोड़ पन्द्रह लाख रुपये) को राज्य के जिला परिषदों, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों के बीच निम्न रूप से वितरित करने की स्वीकृति प्रदान की जाएगी—

ग्राम पंचायतों के बीच

445.305 करोड़ रु० (चार अरब पैतालीस करोड़ तीस लाख पचास हजार रु०) राज्य के कुल 8406 ग्राम पंचायतों को समान रूप से संलग्न विवरणी 1 के स्तम्भ 9 के अनुसार जिलावार स्वीकृत की जाती है।

पंचायत समितियों के बीच

127.23 रु० (एक अरब सत्ताईस करोड़ तेईस लाख रु०) राज्य के कुल 531 पंचायत समितियों को 80 प्रतिशत भारांक प्रखंड की जनसंख्या (ग्रामीण) तथा 20 प्रतिशत भारांक प्रखंडों में बी०पी०एल० परिवारों की संख्या के आधार पर विवरणी 1 के स्तम्भ 12 के अनुसार जिलावार स्वीकृत की जाती है।

जिला परिषदों के बीच

63.589 रु० (तिरसठ करोड़ अन्दावन लाख नब्बे हजार रु०) राज्य को 38 जिला परिषदों को जिलों की जनसंख्या (ग्रामीण) के आधार पर विवरणी के स्तम्भ 15 के अनुसार जिलावार स्वीकृत की जाती है।

पंचायती राज संस्थाओं द्वारा इस राशि का व्यय, विवरणी-1 के अनुसार, उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र की योजनाओं यथा, पेयजल, गाँव के कच्चे सड़कों के ब्रिक सोलिंग एवं नाला निर्माण, सड़कों, नालों, पोखरों, कुँओं आदि की सफाई, मृत जानवरों एवं लावरिस लाशों के निष्पादन, पुस्तकालय को सुदृढ़ करने एवं ग्रामीण सड़कों पर सौर-ऊर्जा पर ही किया

\\10.5.190.32\\P&D_COMPS_CommonLocation\मुद्रण कृपासे\SFC 2013-14\Revised on 4th SFC (30.04.2013).docx

Attested

[Signature]
Deputy Development Commissioner
Cum Chief Executive Officer
ZILA PARISHAD, ARARIA

जाएगा। ग्रामीण सड़को पर सौर उर्जा लगाने के लिए राज्य सरकार की नोडल एजेन्सी के रूप में बिहार रिन्युएबल इनर्जी डेवलपमेंट एजेन्सी (ब्रेडा) को वित्त विभाग के संकल्प संख्या-सं० एम-4-30/2012-9370/वि०(2) दिनांक-05.09.2012 द्वारा अधिकृत किया गया है। अतएव इस मद में प्राप्त राशि से सौर उर्जा संयंत्र के संबंध में पंचायती राज विभाग द्वारा निर्गत विस्तृत दिशा निर्देश जिसमें बिहार रिन्युएबल इनर्जी डेवलपमेंट एजेन्सी (ब्रेडा) द्वारा निर्धारित मानक एवं मानदंडों का उल्लेख है, का अक्षरशः अनुपालन करते हुए ही व्यय किया जायेगा। उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र में निर्धारित रू० 317.99 करोड़ को 70:20:10 के अनुपात में क्रमशः ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों के द्वारा व्यय किया जायगा। इस प्रकार ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के द्वारा उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र में क्रमशः 222.593 करोड़ रू० (दो अरब बाईस करोड़ उनसठ लाख तीस हजार रू०) 63.598 करोड़ रू० (तिरसठ करोड़ उनसठ लाख अस्सी हजार रू०) एवं 31.799 करोड़ रू० (एकतीस करोड़ उनासी लाख नब्बे हजार रू०) व्यय किया जाना है। जिला परिषदों के पास शेष बची राशि का व्यय जिला परिषद के कर्मियों के वेतन/सेवान्त लाभ तथा अन्य विकास योजनाओं पर किया जा सकेगा तथा ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों में अवशेष राशि का व्यय अन्य विकास कार्यों हेतु ही किया जा सकेगा।

(ii) चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर वित्तीय वर्ष 2013-14 में असम्बद्ध अनुदान की राशि रू० 179.13 (एक अरब उनासी करोड़ तेरह लाख रू०) राज्य के जिला परिषदों, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों के बीच निम्नांकित रूप से वितरित की जाएगी:-

- ग्राम पंचायतों के बीच - रू० 168.12 करोड़ (एक अरब अड़सठ करोड़ बारह लाख रू०) राज्य के कुल 8406 ग्राम पंचायतों को दो लाख रू० प्रति ग्राम पंचायत की दर से विवरणी 2 स्तम्भ 5 के अनुसार जिलावार स्वीकृत की जाती है।
- पंचायत समितियों के बीच - रू० 5.31 करोड़ (पाँच करोड़ एकतीस लाख रू०) राज्य के कुल 531 पंचायत समितियों को एक लाख रू० प्रति पंचायत समिति की दर से विवरणी 2 स्तम्भ 6 के अनुसार जिलावार स्वीकृत की जाती है।
- जिला परिषदों के बीच - रू० 5.70 करोड़ (पाँच करोड़ सत्तर लाख रू०) राज्य के कुल 38 जिला परिषदों को पन्द्रह लाख रू० प्रति जिला परिषद की दर से विवरणी 2 के स्तम्भ 7 के अनुसार जिलावार स्वीकृत की जाती है।

इस राशि का व्यय जिला परिषदों, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों द्वारा लेखा संधारण एवं क्षमता निर्माण कार्य, जैसे कम्प्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, फैक्स मशीन, टेलीफोन, इन्टरनेट कनेक्शन, कम्प्यूटर टेबुल, एवं संबंधित उपस्कर का क्रय, उसका रख रखाव, तथा इन उपकरणों के संचालन एवं अंकेक्षण कार्य हेतु आउटसोर्स कर्मियों की सेवाएँ लेने पर किया जायेगा।

Attested

जाएगा। ग्रामीण सड़को पर सौर उर्जा लगाने के लिए राज्य सरकार की नोडल एजेन्सी के रूप में बिहार रिन्युएबल इनर्जी डेवलपमेंट एजेन्सी (ब्रेडा) को वित्त विभाग के संकल्प संख्या-सं0 एम-4-30/2012-9370/वि0(2) दिनांक-05.09.2012 द्वारा अधिकृत किया गया है। अतएव इस मद में प्राप्त राशि से सौर उर्जा संयंत्र के संबंध में पंचायती राज विभाग द्वारा निर्गत विस्तृत दिशा निर्देश जिसमें बिहार रिन्युएबल इनर्जी डेवलपमेंट एजेन्सी (ब्रेडा) द्वारा निर्धारित मानक एवं मानदंडों का उल्लेख है, का अक्षरशः अनुपालन करते हुए ही व्यय किया जायेगा। उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र में निर्धारित रू0 317.99 करोड़ को 70:20:10 के अनुपात में क्रमशः ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों के द्वारा व्यय किया जायगा। इस प्रकार ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के द्वारा उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र में क्रमशः 222.593 करोड़ रू0 (दो अरब बाईस करोड़ उनसठ लाख तीस हजार रू0) 63.598 करोड़ रू0 (तिरसठ करोड़ उनसठ लाख अस्सी हजार रू0) एवं 31.799 करोड़ रू0 (एकतीस करोड़ उनासी लाख नब्बे हजार रू0) व्यय किया जाना है। जिला परिषदों के पास शेष बची राशि का व्यय जिला परिषद के कर्मियों के वेतन/सेवान्त लाभ तथा अन्य विकास योजनाओं पर किया जा सकेगा तथा ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों में अवशेष राशि का व्यय अन्य विकास कार्यों हेतु ही किया जा सकेगा।

(ii) चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर वित्तीय वर्ष 2013-14 में असम्बद्ध अनुदान की राशि रू0 179.13 (एक अरब उनासी करोड़ तैरह लाख रू0) राज्य के जिला परिषदों, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों के बीच निम्नांकित रूप से वितरित की जाएगी:-

<u>ग्राम पंचायतों के बीच</u>	-	रू0 168.12 करोड़ (एक अरब अड़सठ करोड़ बारह लाख रू0) राज्य के कुल 8406 ग्राम पंचायतों को दो लाख रू0 प्रति ग्राम पंचायत की दर से विवरणी 2 स्तम्भ 5 के अनुसार जिलावार स्वीकृत की जाती है।
<u>पंचायत समितियों के बीच</u>	-	रू0 5.31 करोड़ (पाँच करोड़ एकतीस लाख रू0) राज्य के कुल 531 पंचायत समितियों को एक लाख रू0 प्रति पंचायत समिति की दर से विवरणी 2 स्तम्भ 6 के अनुसार जिलावार स्वीकृत की जाती है।
<u>जिला परिषदों के बीच</u>	-	रू0 5.70 करोड़ (पाँच करोड़ सत्तर लाख रू0) राज्य के कुल 38 जिला परिषदों को पन्द्रह लाख रू0 प्रति जिला परिषद की दर से विवरणी 2 के स्तम्भ 7 के अनुसार जिलावार स्वीकृत की जाती है।

इस राशि का व्यय जिला परिषदों, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों द्वारा लेखा संधारण एवं क्षमता निर्माण कार्य, जैसे कम्प्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, फैंक्स मशीन, टेलीफोन, इन्टरनेट कनेक्शन, कम्प्यूटर टेबुल, एवं संबंधित उपस्कर का क्रय, उसका रख रखाव, तथा इन उपकरणों के संचालन एवं अंकेक्षण कार्य हेतु आउटसोर्स कर्मियों की सेवाएँ लेने पर किया जायेगा।

Attested

[Signature]
19/08/21
Deputy Development Commissioner
Cum Chief Executive Officer
ZILA PARISHAD, ARARIA

(iii) जिला परिषद के कर्मियों के वेतन/सेवान्त लाभ (बकाया सहित) के लिए दी गई राशि का व्यय निम्नवत किया जाएगा:-

माननीय न्यायालयों में सेवान्त लाभ एवं वेतन मद के बकाया राशि के भुगतान से संबंधित अवमाननावाद के मामलों में सन्निहित राशि के भुगतान के उपरान्त ही अवशेष राशि से अन्य सेवानिवृत्त कर्मियों के सेवान्त लाभ एवं कार्यरत कर्मियों के वेतन के बकाया का भुगतान किया जायेगा।

5.(क) वर्ष 2013-14 में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर उपलब्ध कुल रु0 815.254 करोड़ में से जिला परिषद के कर्मियों के भुगतान हेतु मात्र रु0 31.79 करोड़ रुपये कर्णांकित है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, जुलाई 2013 तक बकाया सेवान्त लाभ की अधिकांश राशि का भुगतान करने के लिए यह आवश्यक है कि वर्ष 2013-14 में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर जिला परिषदों को अपने कर्मियों के वेतन एवं सेवान्त लाभ के भुगतान के लिए उपलब्ध कराये जानेवाली 31.79 करोड़ की राशि को यथाशीघ्र एक मुश्त निकासी कर उसे जिला परिषद को अप्रैल या मई में ही उपलब्ध करा दिया जाय। इस राशि को सभी 38 जिला परिषदों को निर्धारित मापदंड के अनुसार एक मुश्त उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी जाती है। अन्य मदों की शेष राशि (783.454 करोड़ रु0) को त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्त विभाग के संकल्प 8104 के अनुसार दो किस्तों में सितम्बर, 2013 तथा फरवरी, 2014 में उपलब्ध कराने की स्वीकृति भी दी जाती है।

(ख) राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद होंगे, जो राज्य की पंचायत राज संस्थाओं के कोर बैंक खातों में राशि अविलम्ब उपलब्ध करायेंगे।

(ग) उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद पंचायती राज संस्थाओं को स्वीकृत एवं आवंटित अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय महालेखाकार एवं उसकी अन्य प्रति के साथ पंचायती राज विभाग को भी विहित प्रपत्र में उपलब्ध करायेंगे। संकल्प के आधार पर प्रथम किस्त सितम्बर 2013 में महालेखाकार को समर्पित उपयोगिता प्रमाण-पत्र के आधार पर तथा द्वितीय किस्त फरवरी 2014 में उपयोगिता प्रमाण-पत्र के आधार पर विमुक्त किया जा सकेगा।

यह शर्त अधिरोपित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 की राशि इस शर्त के साथ दी जा सकेगी कि स्वीकृत की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद द्वारा महालेखाकार को समर्पित किया जायेगा। इसके उपरान्त ही वित्तीय वर्ष 2014-15 में अग्रेत्तर निकासी एवं वास्तविक भुगतान की कार्रवाई की जायेगी।

Attested

8.21
Deputy Development Commissioner
Cum Chief Executive Officer
ZILA PARISHAD, ARARIA

6. चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय वर्ष 2012-13 में राशि उपलब्ध कराने हेतु माँग संख्या-16 में निम्नांकित बजट शीर्ष के अन्तर्गत राशि उपबंधित है:

जिला परिषदों के लिए

गैर योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघु शीर्ष-196-जिला परिषदों/ जिला स्तर की पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0007-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जिला परिषदों को अंशदान विपत्र कोड N2515001960007, विषयशीर्ष 3104 सहायक अनुदान-वेतन; 3105 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण एवं 3106 सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा।

पंचायत समिति के लिए

गैर योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघु शीर्ष-197-ब्लॉक पंचायतों/ मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0004-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ब्लॉक पंचायतों को अंशदान विपत्र कोड-N2515001970004, विषयशीर्ष 3105 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण एवं 3106 सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा।

ग्राम पंचायतों के लिए

गैर योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघु शीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता- उपशीर्ष-0009-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को अंशदान विपत्र कोड N2515001980009, विषयशीर्ष 3105 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण एवं 3106 सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 270 के आलोक में फॉर्म 42 पर करेंगे।

8. इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक-30.04.2014 तक प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

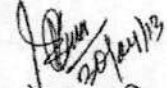
9. वित्त विभाग के पत्रांक-7355 दिनांक-05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार कार्यालय से प्राधिकार पत्र आवश्यक नहीं है। राशि की निकासी के लिए इस विभाग द्वारा अलग से आवंटनादेश निर्गत किया जाएगा, जिसके आलोक में राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा की जाएगी।

Attested

Signature
Deputy Development Commissioner
Cum Chief Executive Officer
ZILA PARISHAD, ARARIA

10. राज्यादेश में वित्त विभाग की सहमति संचिका संख्या-5प/गैर योजना-1-04/2013/पं0 रा0 के पृ0 16/टि0 पर दिनांक- 30.04.2013 को प्राप्त है।

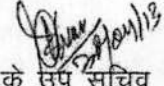
विश्वासभाजन,



सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-5प/गैर योजना-1-04/2013/पं0रा0/.....01...../ पटना, दिनांक 30/04/2013

प्रतिलिपि:- सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-5प/गैर योजना-1-04/2013/पं0रा0/.....01...../ पटना, दिनांक 30/04/2013

प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

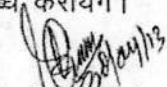


सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-5प/गैर योजना-1-04/2013/पं0रा0/.....01...../ पटना, दिनांक 30/04/2013

प्रतिलिपि:-सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक, पंचायत राज/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, पंचायती राज विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

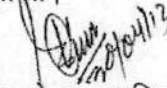
2. आई0टी0 मैनेजर को निदेश दिया जाता है कि राज्यादेश की प्रति संबंधित सभी पदाधिकारियों को ई-मेल से भेजेंगे तथा उसे तत्काल विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध करावेंगे।



सरकार के उप सचिव

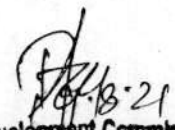
ज्ञापांक-5प/गैर योजना-1-04/2013/पं0रा0/.....01...../ पटना, दिनांक 30/04/2013

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ अग्रसारित।



सरकार के उप सचिव

Attested



Deputy Development Commissioner
Cum-Chief Executive Officer
ZILA PARISHAD, ARARIA



विवरणी-1

राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2013-14 में जिलों की पंचायत राज संस्थाओं को राज्य की शुद्ध करों के अंतरण से प्राप्त होने वाली राशि से पंचायतों/पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों (जिला परिषदों के कर्मियों के वेतन/सेवागत लाभ बकाया सहित) को स्वीकृत की जाने वाली राशि की विवरणी ।

क्र० सं०	जिला	पंचायत समिति	पंचायतों की संख्या	ग्रामीण जनसंख्या	बी०पी० एल० परिवार की संख्या	ग्राम पंचायतों के लिए स्वीकृत राशि			पंचायत समितियों के लिए स्वीकृत राशि			जिला परिषदों के लिए स्वीकृत राशि			कुल योग	
						उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र हेतु राशि	अन्य विकास कार्य हेतु राशि	कुल	उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र हेतु राशि	अन्य विकास कार्य हेतु राशि	कुल	उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र हेतु राशि	जिला परिषदों कर्मियों के वेतन/ सेवागत लाभ (बकाया सहित) एवं अन्य विकास कार्य	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	बक्सर	11	142	1273422	182505	37601958	37622061	75224019	10636676	10642362	21279038	5496979	5499918	10996897	107499954	(दस करोड़ चौहत्तर लाख निम्नान्वये हजार नौ सौ चौवन रु० मात्र)
2.	रोहतास	19	246	2103116	307373	65141420	65176246	130317666	17627079	17636503	35263582	9078518	9083372	18161890	183743138	(अठारह करोड़ सैतीस लाख तैतालीस हजार एक सौ अड़तीस रु० मात्र)
3.	मोजपुर	14	228	1930730	311577	60374975	60407252	120782227	16478877	16487687	32966564	8334380	8338836	16673216	170422007	(सत्रह करोड़ गार लाख बाईस हजार सात रु० मात्र)
4.	नालन्दा	20	249	2016899	348584	65935828	65971078	131906906	17447430	17456757	34904187	8706346	8711000	17417346	184228439	(अठारह करोड़ बगतीस लाख अट्ठाईस हजार चार सौ उनतालीस रु० मात्र)
5.	पटना	23	327	2716123	427486	86590424	86636715	173227139	23072909	23085243	46158152	11724655	11730953	23455638	242840929	(चौबीस करोड़ अट्ठाईस लाख वालीस हजार नौ सौ उनतीस रु० मात्र)
6.	कैमूर	11	151	1247299	221048	39985181	40006557	79991738	10845158	10850955	21696113	5384214	5387093	10771307	112459158	(ग्यारह करोड़ बीबीस लाख उनसठ हजार एक सौ अनठावन रु० मात्र)
7.	गया	24	332	2997479	454779	87914437	87961437	175875874	25291546	25305068	50596614	12939214	12946132	25885346	252357834	(षष्ठीस करोड़ तेईस लाख सनतावन हजार आठ सौ चौतीस रु० मात्र)
8.	नवादा	14	187	1671253	215121	49518072	49544544	99062616	13713484	13720815	27434299	7214296	7218153	14432449	140929364	(चौदह करोड़ नौ लाख उनतीस हजार तीन सौ चौसठ रु० मात्र)
9.	औरंगाबाद	11	204	1842998	275049	54019714	54048594	108068308	15504363	15512652	31017015	7955667	7959920	15915587	155000910	(षन्दह करोड़ पचास लाख नौ सौ दस रु० मात्र)
10.	जहानाबाद	7	93	813227	100602	24626635	24639800	49266435	6631822	6635368	13267190	3510456	3512333	7022789	69556414	(छ करोड़ पनवानवे लाख छप्पन हजार धार सौ चौदह रु० मात्र)
11.	अरवल	5	65	547395	89446	17212164	17221366	34433530	4683230	4685733	9368963	2362939	2364203	4727142	48529635	(चार करोड़ पचासी लाख उनतीस हजार छ सौ पैतीस रु० मात्र)
12.	सारण	20	323	2883203	411941	85531215	85576940	171108155	24070031	24082899	48152930	12445919	12452573	24898492	244159577	(चौबीस करोड़ इकतालीस लाख उनसठ हजार पाँच सौ सतहतर रु० मात्र)

Attested
Deputy Development Commissioner
Cum Chief Executive Officer
ZILA PARISHAD, ARARIA

क्र० सं०	जिला	पंचायत समिति	पंचायत की संख्या	ग्रामीण जनसंख्या	बी०पी० एल० परिवार की संख्या	ग्राम पंचायतों के लिए स्वीकृत राशि			पंचायत समितियों के लिए स्वीकृत राशि			जिला परिषदों के लिए स्वीकृत राशि			कुल योग
						उच्च प्राथमिकता क्षेत्र हेतु राशि	अन्य विकास कार्य हेतु राशि	कुल	उच्च प्राथमिकता क्षेत्र हेतु राशि	अन्य विकास कार्य हेतु राशि	कुल	उच्च प्राथमिकता क्षेत्र हेतु राशि	जिला परिषदों के कर्मियों के वेतन/ सेवानिवृत्त लाभ (बकाया सहित) एवं अन्य विकास कार्य	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13.	सिवान	16	293	2564860	316706	77587139	77628618	155215757	20910387	20921566	41831953	11071728	11077647	22149375	219197085 (इक्कीस करोड़ एकानवे लाख सनतानवे हजार पचासी रु० मात्र)
14.	गोपालगंज	14	234	2022048	282375	61963790	61996917	123960707	16814931	16823921	33638852	8728572	8733239	17461811	175061370 (सत्रह करोड़ पचास लाख एकसठ हजार तीन सौ सत्तर रु० मात्र)
15.	मुजफ्फरपुर	16	385	3380329	638577	101948971	102003474	203952445	29790339	29806265	59596604	14591862	14339663	28931525	292480574 (उनतीस करोड़ बांवीस लाख अस्सी हजार पाँच सौ चौहत्तर रु० मात्र)
16.	वैशाली	16	290	2531766	516448	76792731	76833786	153626517	22697249	22709384	45406633	10928871	10934714	21863585	220896735 (बाईस करोड़ आठ लाख छियाणवे हजार सात सौ पैंतीस रु० मात्र)
17.	पू० चम्पारण	27	405	3630955	714786	107245021	107302356	214547377	32290305	32307567	64597872	15673739	15682119	31355858	310501107 (इकतीस करोड़ पाँच लाख एक हजार एक सौ सत्तर रु० मात्र)
18.	प० चम्पारण	18	315	2733907	510719	83412794	83457386	166870182	24035574	24048423	48083997	11801453	11807762	23609215	238563394 (तेईस करोड़ पचासी लाख तिरसठ हजार तीन सौ चौरानवे रु० मात्र)
19.	सीतामढ़ी	17	273	2529407	506294	72291088	72329736	144620824	22578501	22590571	45169072	10918688	10924525	21843213	211633109 (इक्कीस करोड़ सोलह लाख तैंतीस हजार एक सौ नौ रु० मात्र)
20.	शिवहर	5	53	494699	97165	14034534	14042036	28076570	4397160	4399510	8796670	2135467	2136608	4272075	41145315 (चार करोड़ ग्यारह लाख पैतालीस हजार तीन सौ पन्दह रु० मात्र)
21.	भागलपुर	16	242	1970745	318474	64082211	64116469	128198680	16824841	16833836	33658677	8507113	8511661	17018774	178876131 (सत्रह करोड़ अठ्ठासी लाख छिहत्तर हजार एक सौ इकतीस रु० मात्र)
22.	बुधगाँव	11	185	1552353	222870	48988467	49014356	98003123	12970464	12977398	25947862	6701040	6704623	13405663	137356648 (तेरह करोड़ तिहत्तर लाख छपन हजार छः सौ अड़तालीस रु० मात्र)
23.	मधेपुरा	21	399	3450736	773944	105656206	105712691	211368897	31642498	31659414	63301912	14895788	14903751	29799539	304470348 (तीस करोड़ चौयालीस लाख सत्तर हजार तीन सौ अड़तालीस रु० मात्र)
24.	समस्तीपुर	20	381	3271338	500797	100889761	100943697	201833458	27647343	27662124	55309467	14121381	14128930	28250311	285393236 (अड़्ठाईस करोड़ तिरपन लाख तिरानवे हजार दो सौ छत्तीस रु० मात्र)
25.	दरभंगा	18	324	2966238	452809	85796017	85841884	171637901	25055896	25069291	50125187	12804356	12811201	25615557	247378645 (चौबीस करोड़ तिहत्तर लाख अठहत्तर हजार छः सौ पैतालीस रु० मात्र)
26.	सहरसा	10	153	1383015	231392	40514786	40536445	81051231	11886883	11893237	23780120	5970059	5973251	11943310	116774661 (ग्यारह करोड़ सड़सठ लाख चौहत्तर हजार छः सौ इकसठ रु० मात्र)

Attested

Deputy Development Commissioner
Cum Civil Executive Officer
ZILA PARISHAD, ARARIA

क्र०	जिला	पंचायत समिति	पंचायत की संख्या	ग्रामीण जनसंख्या	बी०पी० एल० परिवार की संख्या	ग्राम पंचायतों के लिए स्वीकृत राशि			पंचायत समितियों के लिए स्वीकृत राशि			जिला परिषदों के लिए स्वीकृत राशि			कुल योग
						उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र हेतु राशि	अन्य विकास कार्य हेतु राशि	कुल	उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र हेतु राशि	अन्य विकास कार्य हेतु राशि	कुल	उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र हेतु राशि	जिला परिषदों के कर्मियों के वेतन/ सेवान्ता लाभ (बकाया सहित) एवं अन्य विकास कार्य	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
27.	मधेपुरा	13	170	1458679	292046	45016429	45040495	90056924	13021482	13028444	26049926	6296678	6300044	12596722	128703572 (बारह करोड़ सत्तासी लाख तीन हजार पाँच सौ बहतर रु० मात्र)
28.	सुपौल	11	181	1644370	346180	47929256	47954880	95884136	14850220	14858159	29708379	7098250	7102045	14200295	139792810 (तेरह करोड़ सत्तासी लाख बरानवे हजार आठ सौ दस रु० मात्र)
29.	पूर्निया	14	246	2267488	420024	65141420	65176246	130317666	19899019	19909658	39808677	9788063	9793296	19581359	189707702 (अठारह करोड़ सत्तासी लाख सात हजार सात सौ दो रु० मात्र)
30.	अररिया	9	218	2026257	412063	57726950	57757811	115484761	18152578	18162282	36314860	8746741	8751417	17498158	169297779 (सोलह करोड़ बरानवे लाख सत्तासी हजार सात सौ उनसी रु० मात्र)
31.	किशनगंज	7	126	1167340	292709	33365118	33382955	66748073	11015975	11021865	22037840	5039055	5041749	10080804	98866717 (नी करोड़ अठ्ठासी लाख छियासठ हजार सात सौ सत्रह रु० मात्र)
32.	कटिहार	16	238	2161122	358267	63023000	63056693	126079693	18541240	18551153	37092393	9328913	9333900	18662813	181834899 (अठारह करोड़ उठारह लाख बीतीस हजार आठ सौ नितानवे रु० मात्र)
33.	मुंगेर	9	101	819950	143349	26745055	26759353	53504408	7109580	7113384	14222964	3539480	3541369	7080849	74808221 (सात करोड़ अड़तालीस लाख आठ हजार दो सौ इक्कीस रु० मात्र)
34.	जमुई	10	153	1295552	227851	40514786	40536445	81051231	11247072	11253083	22500155	5592508	5595498	11188006	114739392 (ग्यारह करोड़ सत्तासीस लाख उनतालीस हजार तीन सौ बरानवे रु० मात्र)
35.	बेगूसराय	18	231	1966089	317646	61169383	61202084	122371467	16784329	16793303	33577632	8487014	8491551	16978565	172927664 (सत्रह करोड़ उनतीस लाख सत्ताईस हजार छः सौ चौंसठ रु० मात्र)
36.	खगड़िया	7	129	1204027	214487	34159526	34177787	68337313	10480089	10485691	20965780	5197422	5200201	10397623	99700716 (नी करोड़ सत्तासीस लाख सात सौ सोलह रु० मात्र)
37.	लखीसराय	7	80	684485	87764	21184202	21195527	42379729	5613100	5616100	11229200	2954716	2956295	5911011	59519940 (पाँच करोड़ पनवानवे लाख उन्नीस हजार नौ सौ बालीस रु० मात्र)
38.	रोहतास	6	54	444189	64662	14299336	14306981	28606317	3720340	3722329	7442669	1917430	1918455	3835885	39884871 (तीन करोड़ अनठानवे लाख बीसली हजार आठ सौ इक्कहत्तर रु० मात्र)
	कुल	531	8406	73665088	12605915	2225930000	2227120000	4453050000	635980000	636320000	1272300000	317990000	317900000	635890000	6361240000 (छः अरब छतीस करोड़ बारह लाख बालीस हजार रु० मात्र)

उप सचिव
पंचायती राज विभाग, बिहार

Attested

Deputy Development Commissioner
Cum Chief Executive Officer
ZILA PARISHAD, ARARIA

विवरण-2

पंचायत राज संस्थाओं को स्वीकृत की जाने वाली असंबद्ध अनुदान राशि की विवरणी।

#10-6-160-82-PFD-COMP8 CommonLocation: कन्दन बजात SFC 2013-14/SFC 2013-14/FCD 2013-14/PURR GP/BFPA QP-DumayvudBhk+DQ-06-26)3.SG.04.2013

Page No.

Linked Grant - 2013-14

Deputy Development Commissioner
Cum Chief Executive Officer
ZILA PARISHAD, ARARIA

	जिला	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायतों के लिए आवंटित राशि	पंचायत समितियों के लिए आवंटित राशि	जिला परिषदों के लिए आवंटित राशि	कुल	
30.	अररिया	9	218	43600000	900000	1500000	46000000	(चार करोड़ साठ लाख रु०)
31.	किशनगंज	7	126	25200000	700000	1500000	27400000	(दो करोड़ चौहत्तर लाख रु०)
32.	कटिहार	16	238	47600000	1600000	1500000	50700000	(पाँच करोड़ सात लाख रु०)
33.	मुंगेर	9	101	20200000	900000	1500000	22600000	(दो करोड़ छब्बीस लाख रु०)
34.	जमुई	10	153	30600000	1000000	1500000	33100000	(तीन करोड़ एकतीस लाख रु०)
35.	बेगुसराय	18	231	46200000	1800000	1500000	49500000	(चार करोड़ पंचानवे लाख रु०)
36.	खगड़िया	7	129	25800000	700000	1500000	28000000	(दो करोड़ अस्सी लाख रु०)
37.	लखीसराय	7	80	16000000	700000	1500000	18200000	(एक करोड़ बेरासी लाख रु०)
38.	शेखपुरा	6	54	10800000	600000	1500000	12900000	(एक करोड़ उनतीस लाख रु०)
	कुल	531	8406	1681200000	53100000	57000000	1791300000	(एक अरब उनासी करोड़ तेरह लाख रु०)

Attested

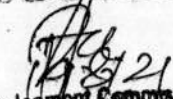
विवरण-1

राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2013-14 में जिलों की पंचायत राज संस्थाओं को राज्य की शुद्ध कर्णों के अंतरण से प्राप्त होने वाली राशि से पंचायतों/पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों को प्रथम किस्त के लिए आवंटित की जाने वाली राशि की विवरणी।

क्र.सं.	जिला	मुख्य शीर्ष 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघु शीर्ष-197-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष- 0009-राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को अंशदान			मुख्य शीर्ष 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघु शीर्ष-197-ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष- 0004-राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में ब्लॉक पंचायतों को अंशदान			मुख्य शीर्ष 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघु शीर्ष-196 -जिला परिषदों, जिला स्तर की पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष- 0007-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जिला परिषदों को अंशदान			कुल योग
		ग्राम पंचायतों के लिए			पंचायत समितियों के लिए			जिला परिषदों के लिए			
		विश्व शीर्ष-3105 सहायक अनुदान-परिसम्पत्तियों के निर्माण	3106 - सहायक अनुदान-वैतनादि के अलावा	कुल	विश्व शीर्ष-3105 सहायक अनुदान-परिसम्पत्तियों के निर्माण	3106 -सहायक अनुदान- वैतनादि के अलावा	कुल	विश्व शीर्ष-3105 सहायक अनुदान- परिसम्पत्तियों के निर्माण	3106 -सहायक अनुदान- वैतनादि के अलावा	कुल	
		उच्च प्राथमिकता क्षेत्र हेतु राशि	अन्य विकास कार्य हेतु राशि		उच्च प्राथमिकता क्षेत्र हेतु राशि	अन्य विकास कार्य हेतु राशि		उच्च प्राथमिकता क्षेत्र हेतु राशि	अन्य विकास कार्य हेतु राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	बल्लार	18800979	18911030	37612009	5318338	5316181	10634519	1748489	50995017	(पाँच करोड़ नौ लाख पन्चानवे हजार सत्रह सौ मात्र)	
2	सोहतास	32570710	32588123	65158833	8813539	8813251	17626790	539259	87324882	(आठ करोड़ तिहत्तर लाख बीबीस हजार आठ सौ केवली सौ मात्र)	
3	मोहनपुर	30187437	30203626	60391113	8239438	8238844	16478282	1167190	81036585	(आठ करोड़ दस लाख छत्तर हजार बीस सौ पचासी सौ मात्र)	
4	नालन्दा	32967914	32985539	65953453	8723715	8723378	17447093	1353173	87753719	(आठ करोड़ सत्तहत्तर लाख तिरपन हजार सात सौ उन्नीस सौ मात्र)	
5	पटना	43295212	43318357	86613569	11536454	11467621	23004075	862342	115479986	(ग्यारह करोड़ बीबन लाख उन्नीस हजार नौ सौ छियासी सौ मात्र)	
6	कैमूर	19992590	20003278	39995868	5422579	5420477	10843056	2692107	53531031	(पाँच करोड़ पैंतीस लाख एकतीस हजार एकतीस सौ मात्र)	
7	गया	43957218	43980718	87937936	12645773	12647534	25293307	1469607	119700850	(ग्यारह करोड़ सत्तहत्तर लाख पचास हजार आठ सौ पचास सौ मात्र)	
8	नवादा	24759036	24772272	49531308	6856742	6855407	13712149	1607148	66850605	(छ: करोड़ अड़सठ लाख पचास हजार छ सौ पाँच सौ मात्र)	
9	औरंगाबाद	27009857	27024297	54034154	7752181	7751326	15503507	1377834	73515495	(सात करोड़ पैंतीस लाख पन्दह हजार आठ सौ पन्चानवे सौ मात्र)	
10	अररनाबाद	12313317	12319500	24633217	3315911	3312684	6628595	1755228	33017040	(तीन करोड़ तीस लाख सत्तहत्तर हजार बीस सौ मात्र)	
11	अररनाबाद	8606082	8610683	17216765	2341010	2337866	4679481	1181469	23077715	(दो करोड़ बीस लाख सत्तहत्तर हजार बीस सौ मात्र)	
12	अररनाबाद	42166607	42188470	84355077	12035015	12036450	24071465	1222960	115848502	(बारह करोड़ अड़सठ लाख पचास हजार छ सौ मात्र)	

Attested
19.8.21
Deputy Development Commissioner
Executive Officer

क्र.सं.	जिला	मुख्य शीर्ष 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-तपु शीर्ष-128-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0009-राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को अंशदान			मुख्य शीर्ष 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-तपु शीर्ष-197-ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0004-राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में ब्लॉक पंचायतों को अंशदान			मुख्य शीर्ष 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-तपु शीर्ष-196-जिला परिषदों, जिला स्तर की पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0007-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जिला परिषदों को अंशदान			कुल योग
		ग्राम पंचायतों के लिए			पंचायत समितियों के लिए			जिला परिषदों के लिए			
		विषय शीर्ष-3105 सहायक अनुदान-परिसम्पत्तियों के निर्माण	3106-सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा	कुल	विषय शीर्ष-3105 सहायक अनुदान-परिसम्पत्तियों के निर्माण	3106-सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा	कुल	विषय शीर्ष-3105 सहायक अनुदान-परिसम्पत्तियों के निर्माण	उच्च प्राथमिकता क्षेत्र हेतु राशि		
		उच्च प्राथमिकता क्षेत्र हेतु राशि	अन्य विकास कार्य हेतु राशि		उच्च प्राथमिकता क्षेत्र हेतु राशि	अन्य विकास कार्य हेतु राशि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
13	चित्तौड़गढ़	36793569	38814309	77607878	10455194	10455783	20910977	5535864	104054719	(दस करोड़ घाटी-नाथ डेहली हज़ार सात सौ उन्नीस रु० मात्र)	
14	गोधुलगढ़	30981895	30998458	61980353	8407465	8406960	16814425	4364286	83159064	(आठ करोड़ इकतीस लाख उनसठ हजार चौंसठ रु० मात्र)	
15	मुजफ्फरपुर	50974485	51001737	101976222	14895170	14898132	29793302	7295931	139065455	(तेरह करोड़ नव लाख पैंसठ हजार धार सौ पचपन रु० मात्र)	
15	बैशाही	38396365	38416893	76813258	11348624	11349692	22598316	5464415	104976009	(दस करोड़ उनचान लाख छिहतर हजार नौ रु० मात्र)	
17	पुष्प बन्सरग	53622511	53651178	107273689	16145152	16148784	32293936	7836661	147404494	(छंदह करोड़ बीहतर लाख बार हजार दस सौ दसपन रु० मात्र)	
18	पुष्प बन्सरग	41706397	41728694	83435091	12017787	12019211	24036998	590072	113372815	(ग्यारह करोड़ तीस लाख अठतर हजार आठ सौ पन्द्रह रु० मात्र)	
19	सीतामढ़ी	36145544	36164868	72310412	11289250	11290285	22579535	545934	100349291	(दस करोड़ तीन लाख उनचान हजार दो सौ इक्कानवे रु० मात्र)	
20	दिवहर	7017267	7021018	14038285	2198580	2194755	4393335	106772	19499353	(एक करोड़ बीस लाख निचानवे हजार तीन सौ तिरपन रु० मात्र)	
21	भावलपुर	32041106	32058234	64099340	8412421	8411918	16824339	4253555	85177235	(आठ करोड़ इक्कानवे लाख सतहतर हजार दो सौ पैंतीस रु० मात्र)	
22	बांका	24494234	24507328	49001552	6485232	6483699	12968931	3350526	65321013	(छ करोड़ तिहतर लाख इक्कीस हजार तेरह रु० मात्र)	
23	मुधुबनी	52828103	52856345	105684448	15821249	15824707	31645956	7447834	144778298	(छंदह करोड़ सैतासीस लाख अठतर हजार दो सौ अनठानवे रु० मात्र)	
24	सनसतीपुर	50444881	50471848	100916729	13823672	13826062	27649734	7060891	135627154	(तेरह करोड़ छपन लाख सताइस हजार एक सौ बीस रु० मात्र)	
25	दरभंगा	42898009	42920942	85818951	12527948	12529645	25057593	6402178	117278722	(बारह करोड़ अठतर लाख अठतर हजार सात सौ बाईस रु० मात्र)	
25	सहरसा	20257393	20268222	40525615	5943442	5941619	11885061	2985030	55395706	(पाँच करोड़ तिरपन लाख पचानवे हजार सात सौ छ रु० मात्र)	
27	कपूरथला	22508215	22520248	45028463	6510741	6509222	13019963	3148339	61196765	(छ करोड़ ग्यारह लाख छिहतर हजार सात सौ पैंसठ रु० मात्र)	

Attested

Deputy Development Commissioner

क्र०	जिला	मुख्य शीर्ष 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-समु शीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष- 0009-राज्य वित्त आयोग के अनुसंधान के अलावे में ग्राम पंचायतों को अंशदान			मुख्य शीर्ष 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-समु शीर्ष-197-ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष- 0004-राज्य वित्त आयोग के अनुसंधान के अलावे में ब्लॉक पंचायतों को अंशदान			मुख्य शीर्ष 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम- समु शीर्ष-196 -जिला परिषदों, जिला स्तर की पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष- 0007-राज्य वित्त आयोग की अनुसंधान के अलावे में जिला परिषदों को अंशदान			कुल योग
		ग्राम पंचायतों के लिए			पंचायत समितियों के लिए			जिला परिषदों के लिए			
		विषय शीर्ष-3105 सहायक अनुदान- परिसम्पत्तियों के निर्माण	3106 - सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा	कुल	विषय शीर्ष-3105 सहायक अनुदान- परिसम्पत्तियों के निर्माण	3106 -सहायक अनुदान- वेतनादि के अलावा	कुल	विषय शीर्ष-3105 सहायक अनुदान- परिसम्पत्तियों के निर्माण	उच्च प्राथमिकता प्रश्न हेतु राशि		
		उच्च प्राथमिकता प्रश्न हेतु राशि	अन्य विकास कार्य हेतु राशि		उच्च प्राथमिकता प्रश्न हेतु राशि	अन्य विकास कार्य हेतु राशि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
28.	सुपौल	23964628	23977440	47942068	7425110	7424080	14849190	3549125	66340383	(छ. करोड़ पचास लाख आसीस हजार तीन सौ तिरासी रु० मात्र)	
29.	पूर्विया	32570710	32588123	65158833	9949510	9949829	19899339	4894032	89952204	(आठ करोड़ निनानवे लाख पावन हजार दो सौ चार रु० मात्र)	
30.	अररिया	28863475	28878905	57742381	9076289	9076141	18152430	4373371	80268182	(आठ करोड़ दो लाख अठसठ हजार एक सौ बरानी रु० मात्र)	
31.	किशनगंज	16682559	16691478	33374037	5507988	5505933	11013921	2519528	46907486	(चार करोड़ उनहत्तर लाख सत्ता हजार चार सौ छियासी रु० मात्र)	
32.	कटिहार	31511509	31528347	63039847	9270620	9270577	18541197	4664457	86245501	(आठ करोड़ बारह लाख पचासीस हजार तीन सौ पच्चीस रु० मात्र)	
33.	मुंगेर	13572528	13379677	26952205	3554790	3551692	7106482	1769740	35628427	(तीन करोड़ छपान लाख अठसठ हजार चार सौ सत्ताईस रु० मात्र)	
34.	जमुई	20257393	20268223	40525616	5623536	5621542	11245078	2796254	54566948	(पाँच करोड़ पचासीस लाख छियासठ हजार नौ सौ अठताल्लोस रु० मात्र)	
35.	देगुन्ना	30584692	30601042	61185734	8392165	8391652	16783817	4243507	82213058	(आठ करोड़ बाईस लाख तिरह हजार अनठावन रु० मात्र)	
36.	खगड़िया	17079763	17088894	34168657	5240045	5237846	10477891	2598711	47245259	(चार करोड़ बहत्तर लाख पचासीस हजार दो सौ उनसठ रु० मात्र)	
37.	सखीसराय	10592101	10597764	21169865	2806550	2803050	5609600	1477358	28276823	(दो करोड़ बरानी लाख छिहत्तर हजार आठ सौ तेईस रु० मात्र)	
38.	रोहतास	7149668	7153491	14303159	1860170	1858165	3716335	958715	18978209	(एक करोड़ नव्वीस लाख अठहत्तर हजार दो सौ नौ रु० मात्र)	
	कुल	1112965000	1113560000	2226525000	317990300	317900000	635690000	158995000	3021410000	(तीन अरब दो करोड़ चौदह लाख दस हजार रु० मात्र)	

संयुक्त निदेशक-सह-संयुक्त सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

Attested

Development Commissioner
Cum Chief Executive Officer

पंचायत राज संस्थाओं को प्रथम किस्त की आवंटित की जाने वाली असंबद्ध अनुदान राशि की विवरणी।

क्र० सं०	जिला	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायतों के लिए आवंटित राशि	पंचायत समितियों के लिए आवंटित राशि	जिला परिषदों के लिए आवंटित राशि	कुल
				मुख्य शीर्ष 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघु शीर्ष-198- ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0009 -राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को अंशदान	मुख्य शीर्ष 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघु शीर्ष-197-ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता- उपशीर्ष-0004-राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में ब्लॉक पंचायतों को अंशदान	मुख्य शीर्ष 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम- लघु शीर्ष-196 -जिला परिषदों, जिला स्तर की पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष- 0007-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जिला परिषदों को अंशदान	
				3106 - सहायक अनुदान-वैतनादि के अलावा	3106 -सहायक अनुदान- वैतनादि के अलावा	3106 -सहायक अनुदान- वैतनादि के अलावा	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	द्वक्सर	11	142	14200000	550000	750000	15500000 (एक करोड़ पचपन लाख रु०)
2.	रोहतास	19	246	24600000	950000	750000	26300000 (दो करोड़ तिरसठ लाख रु०)
3.	भोजपुर	14	228	22800000	700000	750000	24250000 (दो करोड़ बयालीस लाख पचास हजार रु०)
4.	नालन्दा	20	249	24900000	1000000	750000	26650000 (दो करोड़ छियासठ लाख पचास हजार रु०)
5.	पटना	23	327	32700000	1150000	750000	34600000 (तीन करोड़ छियासीस लाख रु०)
6.	कैमूर	11	151	15100000	550000	750000	16400000 (एक करोड़ चौंसठ लाख रु०)
7.	गया	24	332	33200000	1200000	750000	35150000 (तीन करोड़ एकावन लाख पचास हजार रु०)
8.	नवादा	14	187	18700000	700000	750000	20150000 (दो करोड़ एक लाख पचास हजार रु०)
9.	औरंगाबाद	11	204	20400000	550000	750000	21700000 (दो करोड़ सत्रह लाख रु०)
10.	जहानाबाद	7	93	9300000	350000	750000	10400000 (एक करोड़ चार लाख रु०)
11.	अरवल	5	65	6500000	250000	750000	7500000 (पचहत्तर लाख रु०)
12.	सारण	26	323	32300000	1000000	750000	34050000 (तीन करोड़ चालीस लाख पचास हजार रु०)
13.	सिवान	16	293	29300000	800000	750000	30850000 (तीन करोड़ आठ लाख पचास हजार रु०)
14.	गोपालगंज	14	234	23400000	700000	750000	24850000 (दो करोड़ अड़तालीस लाख पचास हजार रु०)

Attested
7/18/21
County Development Commissioner
Executive Officer
ARARIA

क्र० न०	जिला	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायतों के लिए आवंटित राशि	पंचायत समितियों के लिए आवंटित राशि	जिला परिषदों के लिए आवंटित राशि	कुल
15.	मुजफ्फरपुर	16	385	38500000	800000	750000	40050000 (चार करोड़ पचास हजार रु०)
16.	वैशाली	16	290	29000000	800000	750000	30550000 (तीन करोड़ पाँच लाख पचास हजार रु०)
17.	पू० चम्पारण	27	405	40500000	1350000	750000	42600000 (चार करोड़ छब्बीस लाख रु०)
18.	प० चम्पारण	18	315	31500000	900000	750000	33150000 (तीन करोड़ एकतीस लाख पचास हजार रु०)
19.	सीतामढ़ी	17	273	27300000	850000	750000	28900000 (दो करोड़ नवासी लाख रु०)
20.	शिवहर	5	53	5300000	250000	750000	6300000 (छह लाख रु०)
21.	भागलपुर	16	242	24200000	800000	750000	25750000 (दो करोड़ सनतावन लाख पचास हजार रु०)
22.	बाँका	11	185	18500000	550000	750000	19800000 (एक करोड़ अठानवे लाख रु०)
23.	मधुबनी	21	399	39900000	1050000	750000	41700000 (चार करोड़ सत्रह लाख रु०)
24.	समस्तीपुर	20	381	38100000	1000000	750000	39850000 (तीन करोड़ अठानवे लाख पचास हजार रु०)
25.	दरभंगा	18	324	32400000	900000	750000	34050000 (तीन करोड़ चालीस लाख पचास हजार रु०)
26.	सहरसा	10	153	15300000	500000	750000	16550000 (एक करोड़ पैंसठ लाख पचास हजार रु०)
27.	मधेपुरा	13	170	17000000	650000	750000	18400000 (एक करोड़ चौदासी लाख रु०)
28.	सुपौल	11	181	18100000	550000	750000	19400000 (एक करोड़ चौदह लाख रु०)
29.	पूर्णिया	14	246	24600000	700000	750000	26050000 (दो करोड़ साठ लाख पचास हजार रु०)
30.	अररिया	9	218	21800000	450000	750000	23000000 (दो करोड़ तीस लाख रु०)
31.	किशनगंज	7	126	12600000	350000	750000	13700000 (एक करोड़ सैंतीस लाख रु०)
32.	कटिहार	16	238	23800000	800000	750000	25350000 (दो करोड़ तिरपन लाख पचास हजार रु०)
33.	मुंगेर	9	101	10100000	450000	750000	11300000 (एक करोड़ तेरह लाख रु०)
34.	जमुई	10	153	15300000	500000	750000	16550000 (एक करोड़ पैंसठ लाख पचास हजार रु०)
35.	बेगूसराय	18	231	23100000	900000	750000	24750000 (दो करोड़ सैंतालीस लाख पचास हजार रु०)
36.	खगड़िया	7	129	12900000	350000	750000	14000000 (एक करोड़ चालीस लाख रु०)
37.	लखीसराय	7	80	8000000	350000	750000	9100000 (एकानवे लाख रु०)
38.	शेखपुरा	6	54	5400000	300000	750000	6450000 (छह लाख पचास हजार रु०)
	कुल	531	8406	840600000	26550000	28500000	895650000 (नवतीस करोड़ छपन लाख पचास हजार रु०)

संयुक्त निर्देशक सह-सिप्लान्त/सचिव
पंचायत राज विभाग, बिहार, मुजफ्फरपुर

Attested

Chief Development Commissioner
Chief Executive Officer
MAD. ARARA

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

संख्या:- 5प/गैर योजना-1-04/2013/पं0रा0/.....01/05/2013 पटना, दिनांक 01/05/2013

प्रेषक,

अमिताभ वर्मा,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद।

विषय:- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2013-14 में राज्य की पंचायती राज संस्थाओं को राज्य के शुद्ध करों के अंतरण से प्राप्त होनेवाली राशि में से जिला परिषद कर्मियों के वेतन एवं सेवान्त लाभ तथा अन्य विकास कार्य के लिए 31.79 करोड़ रु0 (इक्तीस करोड़ उनासी लाख रु0) का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि राज्यादेश संख्या 01 दिनांक 30.04.2013 द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2013-14 में पंचायती राज संस्थाओं को राज्य के शुद्ध करों के अंतरण से प्राप्त होने वाली राशि से जिला परिषद कर्मियों के वेतन एवं सेवान्त लाभ तथा अन्य विकास कार्य के लिए 31.79 करोड़ रु0 (इक्तीस करोड़ उनासी लाख रु0) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। तदनुसार संलग्न विवरणी 1 के अनुसार निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को जिलों के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

2. राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद होंगे, जो आवंटित राशि का व्यय एवं उपयोग विभागीय राज्यादेश संख्या 01 दिनांक 30.04.2013 में निहित अनुदेश के आलोक में करेंगे।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-एम-4-05/98-2561 वि0-(2) दिनांक 17.04.1998 में निहित निदेश के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

4. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर विषयांकित बजट शीर्ष इकाईयों का कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय से लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

5. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये।

6. वित्तीय नियमावली, बजट, मैनुअल एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

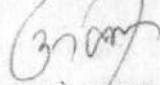
7. राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र दिनांक-30.04.2014 तक महालेखाकार बिहार, पटना को निश्चित रूप प्रस्तुत किया जाय।

8. राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2013-14 में (माँग संख्या-16) निम्नांकित बजट शीर्ष एवं विपत्र कोड के अंतर्गत की जाएगी:-

गैर योजना मुख्य शीर्ष-2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघु शीर्ष-196-जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0007-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जिला परिषदों को अंशदान विषय शीर्ष "3104-सहायक अनुदान-वेतन" विपत्र कोड N2515001960007.

9. राशि की निकासी संबंधित जिला के जिला कोषागार से की जायेगी। राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 270 के अनुसार (बी.टी.सी. फार्म 42 में) की जायेगी तथा बिहार वित्त नियमावली के नियम 342 में निहित अनुदेशों के अनुरूप विगत वर्षों तक उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार को निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध कराई जाएगी।

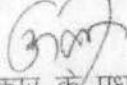
विश्वासभाजन



सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक:- 5प/गैर योजना-1-04/2013...01/03/2014, पटना, दिनांक 01/03/2014

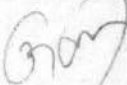
प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/संबंधित जिला पंचायत राज पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक:-5प/गैर योजना-1-04/2013/पं0रा0/01/03/2014/पटना, दिनांक 01/03/2014
प्रतिलिपि:-संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित प्रमंडलीय उप निदेशक, पंचायती राज, प्रमण्डल/आंतरिक वित्तीय सलाहकार तथा आई0 टी0 मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई0 टी0 मैनेजर, पंचायती राज विभाग को निदेश दिया जाता है कि वे इसे विभाग के वेबसाइट पर डालेंगे एवं संबंधित उप विकास आयुक्त सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को e-mail करेंगे।



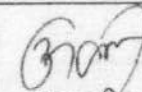
सरकार के प्रधान सचिव।

विवरणी-1

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2013-14 में जिलों की पंचायत राज संस्थाओं को राज्य की शुद्ध करों के अंतरण से प्राप्त होने वाली राशि से जिला परिषदों के कर्मियों के वेतन/सेवांत लाभ (बकाया सहित) एवं अन्य विकास कार्य के लिए आवंटित की जाने वाली राशि की विवरणी ।

क्र० सं०	जिला	पंचायत समिति	पंचायतों की संख्या	ग्रामीण जनसंख्या	मुख्यशरीर्ष-2515-अन्य विकास कार्यक्रम-उप मुख्यशरीर्ष-00-लघुशरीर्ष-196-जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता-उपशरीर्ष-0007-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जिला परिषदों को अंशदान, विषय शरीर्ष - 3104 - सहायक अनुदान वेतन विपत्र कोड-एन2515001960007	
1	2	3	4	5	6	
1.	बक्सर	11	142	1273422	5499918.00	(चौवन लाख नित्यानवे हजार नौ सौ अठारह रु० मात्र)
2.	रोहतास	19	246	2103116	9083372.00	(नब्बे लाख तिरासी हजार तीन सौ बहत्तर रु० मात्र)
3.	भोजपुर	14	228	1930730	8338836.00	(तेरासी लाख अड़तीस हजार आठ सौ छत्तीस रु० मात्र)
4.	नालन्दा	20	249	2016899	8711000.00	(सत्तासी लाख ग्यारह हजार रु० मात्र)
5.	पटना	23	327	2716123	11730953.00	(एक करोड़ सत्रह लाख तीस हजार नौ सौ तिरपन रु० मात्र)
6.	कैमूर	11	151	1247299	5387093.00	(तिरपन लाख सत्तासी हजार तिरानवे रु० मात्र)
7.	गया	24	332	2997479	12946132.00	(एक करोड़ उनतीस लाख छियालीस हजार एक सौ बत्तीस रु० मात्र)
8.	नवादा	14	187	1671253	7218153.00	(बहत्तर लाख अठारह हजार एक सौ तिरपन रु० मात्र)
9.	औरंगाबाद	11	204	1842998	7959920.00	(उनासी लाख उनसठ हजार नौ सौ बीस रु० मात्र)
10.	जहानाबाद	7	93	813227	3512333.00	(पैंतीस लाख बारह हजार तीन सौ तैतीस रु० मात्र)
11.	अरवल	5	65	547395	2364203.00	(तेइस लाख चौंसठ हजार दो सौ तीन रु० मात्र)
12.	सारण	20	323	2883203	12452573.00	(एक करोड़ चौबीस लाख बावन हजार पाँच सौ तिहत्तर रु० मात्र)
13.	सिवान	16	293	2564860	11077647.00	(एक करोड़ दस लाख सत्तहत्तर हजार छः सौ सैंतालीस रु० मात्र)
14.	गोपालगंज	14	234	2022048	8733239.00	(सत्तासी लाख तैतीस हजार दो सौ उनवालीस रु० मात्र)
15.	मुजफ्फरपुर	16	385	3380329	14339663.00	(एक करोड़ तैंतालीस लाख उनतालीस हजार छः सौ तिरसठ रु० मात्र)
16.	वैशाली	16	290	2531766	10934714.00	(एक करोड़ नौ लाख चौतीस हजार सात सौ चौदह रु० मात्र)
17.	पू० चम्पारण	27	405	3630955	15682119.00	(एक करोड़ छप्पन लाख बेशसी हजार एक सौ उन्नीस रु० मात्र)
18.	प० चम्पारण	18	315	2733907	11807762.00	(एक करोड़ अठारह लाख सात हजार सात सौ बासठ रु० मात्र)
19.	सीतामढ़ी	17	273	2529407	10924525.00	(एक करोड़ नौ लाख चौबीस हजार पाँच सौ पच्चीस रु० मात्र)
20.	शिवहर	5	53	494699	2136608.00	(इक्कीस लाख छत्तीस हजार छः सौ आठ रु० मात्र)

क्र० सं०	जिला	पंचायत समिति	पंचायतों की संख्या	ग्रामीण जनसंख्या	मुख्यशीर्ष-2515-अन्य विकास कार्यक्रम-उप मुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-196-जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0007-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जिला परिषदों को अंशदान, विषय शीर्ष - 310 सहायक अनुदान वेतन विपत्र कोड-एन2515001960007	
1	2	3	4	5	6	
21.	भागलपुर	16	242	1970745	8511661.00	(पचासी लाख ग्यारह हजार छः सौ एकसठ रु० मात्र)
22.	बांका	11	185	1552353	6704623.00	(सड़सठ लाख चार हजार छः सौ तेइस रु० मात्र)
23.	मधुबनी	21	399	3450736	14903751.00	(एक करोड़ उनचास लाख तीन हजार सात सौ एकावन रु० मात्र)
24.	समस्तीपुर	20	381	3271338	14128930.00	(एक करोड़ एकतालीस लाख अठाइस हजार नौ सौ तीस रु० मात्र)
25.	दरभंगा	18	324	2966238	12811201.00	(एक करोड़ अठाइस लाख ग्यारह हजार दो सौ एक रु० मात्र)
26.	सहरसा	10	153	1383015	5973251.00	(उनसठ लाख तिहत्तर हजार दो सौ एकावन रु० मात्र)
27.	मधेपुरा	13	170	1458679	6300044.00	(तिरसठ लाख चौबालीस रु० मात्र)
28.	सुपौल	11	181	1644370	7102045.00	(एकहत्तर लाख दो हजार पैतालीस रु० मात्र)
29.	पूर्णिया	14	246	2267488	9793296.00	(सनतानवे लाख तिरानवे हजार दो सौ छियानवे रु० मात्र)
30.	अररिया	9	218	2026257	8751417.00	(सत्तासी लाख एकावन हजार चार सौ सत्रह रु० मात्र)
31.	किशनगंज	7	126	1167340	5041749.00	(प्रचास लाख एकतालीस हजार सात सौ उनचास रु० मात्र)
32.	कटिहार	16	238	2161122	9333900.00	(तिसानवे लाख तैतीस हजार नौ सौ रु० मात्र)
33.	मुंगेर	9	101	819950	3541369.00	(पैतीस लाख एकतालीस हजार तीन सौ उनहत्तर रु० मात्र)
34.	जमुई	10	153	1295552	5595498.00	(पचपन लाख पनचानवे हजार चार सौ अनठानवे रु० मात्र)
35.	बेगुसराय	18	231	1966089	8491551.00	(चौरासी लाख एकानवे हजार पाँच सौ एकावन रु० मात्र)
36.	खगड़िया	7	129	1204027	5200201.00	(बानवे लाख दो सौ एक रु० मात्र)
37.	लखीसराय	7	80	684485	2956295.00	(उनतीस लाख छप्पन हजार दो सौ पनचानवे रु० मात्र)
38.	शेखपुरा	6	54	444189	1918455.00	(उन्नीस लाख अठारह हजार चार सौ पचपन रु० मात्र)
	कुल	531	8406	73665088	317900000.00	(एकतीस करोड़ उनासी लाख रु० मात्र)



प्रधान सचिव,

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।



बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

संख्या:- 5प/गैर योजना 1 04/2013/40810/ 40810/ पटना, दिनांक 10/10/2013

प्रेषक,

रमाशंकर प्रसाद पन्थुआर
संयुक्त निदेशक सह संयुक्त सचिव

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद।

विषय:- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रथम किस्त के रूप में राज्य की पंचायती राज संस्थाओं को राज्य के शुद्ध करों के अंतरण से प्राप्त होनेवाली राशि में से जिला परिषदों, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों को उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र तथा पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों को अन्य विकास कार्य के लिए 302.141 करोड़ रु० (तीन अरब दो करोड़ बीस लाख दस हजार रु०) तथा असंबद्ध अनुदान के रूप में 89.565 करोड़ रु० (नवासी करोड़ पाँच लाख पैंसठ हजार रु०) कुल-391.706 करोड़ रु० (तीन अरब एकानवे करोड़ सात लाख छः हजार रु०) का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि राज्यादेश संख्या 01 दिनांक 30.04.2013 द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रथम किस्त के रूप में राज्य की पंचायती राज संस्थाओं को राज्य के शुद्ध करों के अंतरण से प्राप्त होनेवाली राशि में से जिला परिषदों, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों को उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र तथा पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों को अन्य विकास कार्य के लिए 302.141 करोड़ रु० (तीन अरब दो करोड़ बीस लाख दस हजार रु०) तथा असंबद्ध अनुदान के रूप में 89.565 करोड़ रु० (नवासी करोड़ पाँच लाख पैंसठ हजार रु०) कुल-391.706 करोड़ रु० (तीन अरब एकानवे करोड़ सात लाख छः हजार रु०) की रकम की प्रदान की गयी है। तदनुसार संलग्न विवरणी 1 एवं 2 के अनुसार निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का जिलों के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

2. राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद होंगे, जो आवंटित राशि का व्यय एवं उपयोग विभागीय राज्यादेश संख्या 01 दिनांक 30.04.2013 (प्रतिनिधि संलग्न) में निहित अनुदेश के आलोक में करेंगे।

3. यह आवंटन जिला विभाग के परिपत्र संख्या-एम-न 05/98-2561 वि०-(2) दिनांक 17.04.1998 एवं 4981 दिनांक 16.05.2013 में निहित निर्देश के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

Attested,

Deputy Development Commissioner
Cum Chief Executive Officer
ZILA PARISHAD, ARARIA

4. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विन्यासों पर विन्यासित बजट शीर्ष इकाईया का कोड एवं मांग संख्या आदिवाये रूप से अंकित की जाय ताकि महालेखाकार के कार्यालय से लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

5. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये। राशि का व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये।

6. वित्तीय नियमावली, बजट, मैनुअल एवं अन्य सुरागत आगलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वस्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

7. प्रथम किस्त की इस राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र के आधार पर फरवरी माह के पूर्व द्वितीय किस्त विमुक्त की जाएगी। तदनुसार दिनांक 31.12.2013 तक महालेखाकार बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाय।

8. राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2013-14 में (गौग संख्या-16) निम्नांकित बजट शीर्ष एवं विपत्र कोड के अंतर्गत की जाएगी:

जिला परिषदों के लिए

गैर योजना मुख्य शीर्ष 2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम लघु शीर्ष-196-जिला परिषदों/ जिला स्तर की पंचायतों को सहायता उपशीर्ष 0007 राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जिला परिषदों को अंशदान विपत्र कोड N2515001960007, विषयशीर्ष 3105 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण एवं 3106 सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा।

पंचायत समिति के लिए

गैर योजना मुख्य शीर्ष 2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम लघु शीर्ष-197-ब्लॉक पंचायतों/ मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता उपशीर्ष 0009 राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ब्लॉक पंचायतों को अंशदान विपत्र कोड N2515001970004, विषयशीर्ष 3105 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण एवं 3106 सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा।

ग्राम पंचायतों के लिए

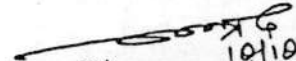
गैर योजना मुख्य शीर्ष 2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम लघु शीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता- उपशीर्ष-0009-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को अंशदान विपत्र कोड N2515001980009, विषयशीर्ष 3105 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण एवं 3106 सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा।

Digitized by Srujanika@gmail.com

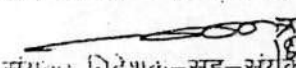
Attested
Deputy Development Commissioner
Cum Chief Executive Officer
ZILA PARISHAD, ARARIA

9. राशि की निकासी संबंधित जिला ने जिला कोषागार से की जायेगी। राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 270 के अनुसार (बी.टी.सी. फार्म 42 में) की जायेगी तथा बिहार वित्त नियमावली के नियम 342 में निहित अनुशंसी के अनुरूप विगत वर्षों तक उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार को निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध कराई जाएगी।

विश्वासभाजन

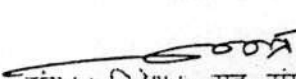

संयुक्त निदेशक-सह-संयुक्त सचिव। 10/01/13

ज्ञापांक:- 5प/गैर योजना 1-04/2013/40(आ0)/40रा10. पटना, दिनांक 10/01/2013
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी./संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/संबंधित जिला पदायत राज पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

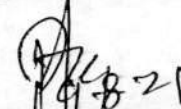

संयुक्त निदेशक-सह-संयुक्त सचिव। 10/01/13

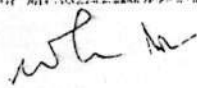
ज्ञापांक:- 5प/गैर योजना 1-04/2013/40रा10/40(आ0)/पटना, दिनांक 10/01/2013
प्रतिलिपि:- संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित प्रमंडलीय उप निदेशक, पंचायती राज, प्रमण्डल/आंतरिक वित्तीय सलाहकार तथा आई0 टी0 मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई0 टी0 मैनेजर, पंचायती राज विभाग को निदेश दिया जाता है कि वे इसे विभाग के वेबसाइट पर डालेंगे एवं संबंधित उप विकास आयुक्त सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को e-mail करेंगे।


संयुक्त निदेशक-सह-संयुक्त सचिव। 10/01/13

Attested


Deputy Development Commissioner
Cum Chief Executive Officer
ZILA PARISHAD, ARARIA



सं०	जिला	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायतों के लिए आवंटित राशि	पंचायत समितियों के लिए आवंटित राशि	जिला परिषदों के लिए आवंटित राशि	कुल
15.	भुजफरपुर	16	385	38500000	800000	750000	40050000 (चार करोड़ पचास हजार रु०)
16.	वैशाली	16	290	29000000	800000	750000	30550000 (तीन करोड़ पाँच लाख पचास हजार रु०)
17.	पू० चम्पारण	27	405	40500000	1350000	750000	42600000 (चार करोड़ छब्बीस लाख रु०)
18.	प० चम्पारण	18	315	31500000	900000	750000	33150000 (तीन करोड़ एकतीस लाख पचास हजार रु०)
19.	सीतामढ़ी	17	273	27300000	850000	750000	28900000 (दो करोड़ नवतीस लाख रु०)
20.	शिवहर	5	53	5300000	250000	750000	6300000 (छह लाख रु०)
21.	भागलपुर	16	242	24200000	800000	750000	25750000 (दो करोड़ सत्तावन लाख पचास हजार रु०)
22.	बांका	11	185	18500000	550000	750000	19800000 (एक करोड़ अठान्ने लाख रु०)
23.	मधुबनी	21	399	39900000	1050000	750000	41700000 (चार करोड़ सत्रह लाख रु०)
24.	समस्तीपुर	20	381	38100000	1000000	750000	39850000 (तीन करोड़ अठान्ने लाख पचास हजार रु०)
25.	दरभंगा	18	324	32400000	900000	750000	34050000 (तीन करोड़ बालीस लाख पचास हजार रु०)
26.	सहरसा	10	153	15300000	500000	750000	16550000 (एक करोड़ पैंसठ लाख पचास हजार रु०)
27.	मधेपुरा	13	170	17000000	650000	750000	18400000 (एक करोड़ बौरासी लाख रु०)
28.	सुपौल	11	181	18100000	550000	750000	19400000 (एक करोड़ बौरान्ने लाख रु०)
29.	पूर्णिमा	14	246	24600000	700000	750000	26050000 (दो करोड़ साठ लाख पचास हजार रु०)
30.	अररिया	9	218	21800000	450000	750000	23000000 (दो करोड़ पैंस लाख रु०)
31.	किशनगंज	7	126	12600000	350000	750000	13700000 (एक करोड़ सैंतीस लाख रु०)
32.	कटिहार	16	238	23800000	800000	750000	25350000 (दो करोड़ तीरपन लाख पचास हजार रु०)
33.	मुंगेर	9	101	10100000	450000	750000	11300000 (एक करोड़ तेरह लाख रु०)
34.	जमुई	10	153	15300000	500000	750000	16550000 (एक करोड़ पैंसठ लाख पचास हजार रु०)
35.	बेगूसराय	18	231	23100000	900000	750000	24750000 (दो करोड़ सैंतालीस लाख पचास हजार रु०)
36.	खगडिया	7	129	12900000	350000	750000	14000000 (एक करोड़ बालीस लाख रु०)
37.	लखीसराय	7	80	8000000	350000	750000	9100000 (एकान्ने लाख रु०)
38.	शेखपुरा	6	54	5400000	300000	750000	6450000 (छौसठ लाख पचास हजार रु०)
	कुल	531	8406	840600000	26550000	28500000	895650000 (नौ करोड़ छब्बिस लाख पचास हजार रु०)

संयुक्त निदेशक-सह संयुक्त सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

Attested
Deputy Development Commissioner
Cum Chief Executive Officer
PARISHAD, APARUA

विवरणी-2

पंचायत राज संस्थाओं को द्वितीय किस्त की आवंटित की जाने वाली असंबद्ध अनुदान राशि की विवरणी।

क्र० सं०	जिला	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायतों के लिए आवंटित राशि	पंचायत समितियों के लिए आवंटित राशि	जिला परिषदों के लिए आवंटित राशि	कुल	
				मुख्य शीर्ष 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघु शीर्ष-198- ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0009 -राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को अंशदान	मुख्य शीर्ष 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघु शीर्ष-197-ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता- उपशीर्ष-0004-राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में ब्लॉक पंचायतों को अंशदान	मुख्य शीर्ष 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम- लघु शीर्ष-196 -जिला परिषदों, जिला स्तर की पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष- 0007-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जिला परिषदों को अंशदान		
				3106 - सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा	3106 -सहायक अनुदान- वेतनादि के अलावा	3106 -सहायक अनुदान- वेतनादि के अलावा		
1	2	3	4	5	6	7	8	
							15500000	(एक करोड़ पचास लाख रु०)
1	बक्सर	1	142	14200000	550000	750000	26300000	(दो करोड़ तिरसठ लाख रु०)
2	रोहतास	19	246	24600000	950000	750000	24250000	(दो करोड़ ब्यालीस लाख पचास हजार रु०)
3	भोजपुर	14	228	22800000	700000	750000	26650000	(दो करोड़ छियासठ लाख पचास हजार रु०)
4	नालन्दा	20	249	24900000	1000000	750000	34600000	(तीन करोड़ छियालीस लाख रु०)
5	पटना	23	327	32700000	1150000	750000	16400000	(एक करोड़ चौंसठ लाख रु०)
6	कैमूर	11	151	15100000	550000	750000	35150000	(तीन करोड़ एकान्न लाख पचास हजार रु०)
7	मध्या	24	332	33200000	1200000	750000	20150000	(दो करोड़ एक लाख पचास हजार रु०)
8	नवादा	14	187	18700000	700000	750000	21700000	(दो करोड़ सत्रह लाख रु०)
9	औरंगाबाद	11	204	20400000	550000	750000	10400000	(एक करोड़ चार लाख रु०)
10	जहानाबाद	7	93	9300000	350000	750000	7500000	(पचास लाख रु०)
11	अरवल	5	65	6500000	250000	750000	34050000	(तीन करोड़ चालीस लाख पचास हजार रु०)
12	सारण	20	323	32300000	1000000	750000	30850000	(तीन करोड़ आठ लाख पचास हजार रु०)
13	सिवा	16	243	24300000	800000	750000	24850000	(दो करोड़ अठ्ठातीस लाख पचास हजार रु०)
14	गोपालगंज	14	244	24400000	700000	750000		

Attested
Deputy Development Commissioner
Chief Executive Officer
ADARJA

क्र०	जिला	मुख्य शीर्ष 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघु शीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष- 0009-राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को अंशदान			मुख्य शीर्ष 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम लघु शीर्ष-197-ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष- 0004-राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में ब्लॉक पंचायतों को अंशदान			मुख्य शीर्ष 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम लघु शीर्ष-196 -जिला परिषदों, जिला स्तर की पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष- 0007-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जिला परिषदों को अंशदान		कुल योग
		ग्राम पंचायतों के लिए			पंचायत समितियों के लिए			जिला परिषदों के लिए		
		विषय शीर्ष-3105 सहायक अनुदान-परिसम्पत्तियों के निर्माण	3106 - सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा	कुल	विषय शीर्ष-3105 सहायक अनुदान-परिसम्पत्तियों के निर्माण	3106 -सहायक अनुदान- वेतनादि के अलावा	कुल	विषय शीर्ष-3105 सहायक अनुदान- परिसम्पत्तियों के निर्माण		
		उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र हेतु राशि	अन्य विकास कार्य हेतु राशि		उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र हेतु राशि	अन्य विकास कार्य हेतु राशि		उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र हेतु राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
13	सिंदान	38793569	38814309	77607878	10455194	10455783	20910977	5535864	104034719	(दस करोड़ डॉलर तक बैंक ऋण हस्तांतरण से उन्नीस रु मात्र)
14	गोपालगंज	30981895	30998458	61980353	8407465	8406960	16814425	4364286	83159064	(आठ करोड़ डॉलर तक ऋण हस्तांतरण से बीस रु मात्र)
15	मुजफ्फरपुर	50974485	51001737	101976222	14895170	14898132	29793302	7295931	139065455	(दस करोड़ डॉलर तक ऋण हस्तांतरण से बीस रु मात्र)
16	बैराली	38396365	38416893	76813258	11348624	11349692	22698316	5464435	104976009	(दस करोड़ डॉलर तक ऋण हस्तांतरण से बीस रु मात्र)
17	बुधगंगा	53622511	53651178	107273689	16145152	16148784	32293936	7836869	147404494	(दस करोड़ डॉलर तक ऋण हस्तांतरण से बीस रु मात्र)
18	बुधगंगा	41706397	41728694	83435091	12017787	12019211	24036998	5900726	113372815	(आठ करोड़ डॉलर तक ऋण हस्तांतरण से बीस रु मात्र)
19	सीतामढ़ी	36145544	36164868	72310412	11289250	11290285	22579535	5459344	100349291	(दस करोड़ डॉलर तक ऋण हस्तांतरण से बीस रु मात्र)
20	शिवहर	7017267	7021018	14038285	2198580	2194755	4393335	1067733	19499353	(दस करोड़ डॉलर तक ऋण हस्तांतरण से बीस रु मात्र)
21	भागलपुर	32041106	32058234	64099340	8412421	8411918	16824339	4253556	85177235	(आठ करोड़ डॉलर तक ऋण हस्तांतरण से बीस रु मात्र)
22	बांका	24494234	24507328	49001562	6485232	6483699	12968931	3350520	65321013	(दस करोड़ डॉलर तक ऋण हस्तांतरण से बीस रु मात्र)
23	मधुबनी	52828103	52856345	105684448	15821249	15824707	31645956	7447894	144778298	(दस करोड़ डॉलर तक ऋण हस्तांतरण से बीस रु मात्र)
24	सनखीपुर	50444881	50471848	100916729	13823672	13826062	27649734	7060691	135627154	(दस करोड़ डॉलर तक ऋण हस्तांतरण से बीस रु मात्र)
25	दरभंगा	42896009	42920942	85818951	12527948	12529645	25057593	6402178	117278722	(दस करोड़ डॉलर तक ऋण हस्तांतरण से बीस रु मात्र)
26	सहरसा	20257393	20268222	40525615	5943442	5941619	11885061	2985030	55395706	(दस करोड़ डॉलर तक ऋण हस्तांतरण से बीस रु मात्र)
27	मधुपुरा	22508215	22520248	45028463	6509222	6509222	13019963	3148339	61196765	(दस करोड़ डॉलर तक ऋण हस्तांतरण से बीस रु मात्र)

Attested

Deputy Development Committee
Cum Chief Executive Officer

विवरण-1

वृत्त राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2013-14 में जिलों की पंचायत राज संस्थाओं को राज्य की शुद्ध करों के अंतरण से प्राप्त होने वाली राशि से पंचायतों/पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों को द्वितीय किस्त के लिए आवंटित की जाने वाली राशि की विवरणी।

क्र०	जिला	मुख्य शीर्ष 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-तपु शीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष- 0009-राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को अंशदान			मुख्य शीर्ष 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-तपु शीर्ष-197-ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष- 0004-राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में ब्लॉक पंचायतों को अंशदान			मुख्य शीर्ष 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-तपु शीर्ष-196 -जिला परिषदों, जिला स्तर की पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष- 0007-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जिला परिषदों को अंशदान		कुल योग
		ग्राम पंचायतों के लिए			पंचायत समितियों के लिए			जिला परिषदों के लिए		
		विषय शीर्ष-3105 सहायक अनुदान-परिसम्पत्तियों के निर्माण	3106 - सहायक अनुदान-वेतनारि के अलावा	कुल	विषय शीर्ष-3105 सहायक अनुदान-परिसम्पत्तियों के निर्माण	3106 -सहायक अनुदान- वेतनारि के अलावा	कुल	विषय शीर्ष-3105 सहायक अनुदान- परिसम्पत्तियों के निर्माण	उच्च प्राथमिकता क्षेत्र हेतु राशि	
		उच्च प्राथमिकता क्षेत्र हेतु राशि	अन्य विकास कार्य हेतु राशि		उच्च प्राथमिकता क्षेत्र हेतु राशि	अन्य विकास कार्य हेतु राशि				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	बस्तर	18800979	18811030	37612009	5318338	5316181	10634519	2748489	50995017	(विषय शीर्ष 3105 सहायक अनुदान-परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु राशि)
2	रोहतास	32570710	32588123	65158833	8813539	8813251	17626790	4539259	87324832	(विषय शीर्ष 3106 सहायक अनुदान- वेतनारि के अलावा हेतु राशि)
3	मोड़न	30157487	30203626	60391113	8239436	8238844	16478282	4167190	81036585	(विषय शीर्ष 3105 सहायक अनुदान-परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु राशि)
4	नालन्दा	32967914	32985539	65953453	8723715	8723378	17447093	4353173	67753719	(विषय शीर्ष 3106 सहायक अनुदान- वेतनारि के अलावा हेतु राशि)
5	पटना	43295212	43318357	86613569	11536454	11467621	23004075	5862342	115479936	(विषय शीर्ष 3105 सहायक अनुदान-परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु राशि)
6	कैमूर	19992590	20003278	39995868	5422579	5420477	10843056	2692107	53531031	(विषय शीर्ष 3106 सहायक अनुदान- वेतनारि के अलावा हेतु राशि)
7	मुंगेर	43957218	43980718	87937936	12645773	12647534	25293307	6469607	119700850	(विषय शीर्ष 3105 सहायक अनुदान-परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु राशि)
8	नवादा	24759036	24772272	49531308	6856742	6855407	13712149	3607148	66850605	(विषय शीर्ष 3106 सहायक अनुदान- वेतनारि के अलावा हेतु राशि)
9	जौनपुर	27009857	27024297	54034154	7752181	7751326	15503507	3977834	73515495	(विषय शीर्ष 3105 सहायक अनुदान-परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु राशि)
10	जहानाबाद	12313317	12319900	24633217	3315911	3312684	6628595	1755228	33017040	(विषय शीर्ष 3106 सहायक अनुदान- वेतनारि के अलावा हेतु राशि)
11	उदयपुर	8606082	8610683	17216765	2341615	2337866	4679481	1181469	23077715	(विषय शीर्ष 3105 सहायक अनुदान-परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु राशि)
12	तापन	42765607	42788470	85554077	12035015	12036450	24071465	6222960	115848502	(विषय शीर्ष 3106 सहायक अनुदान- वेतनारि के अलावा हेतु राशि)

Attested

Deputy Development Commissioner
Cum Chief Executive Officer
BAGHMAN, ARAR

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

संख्या: 5प/गैर योजना-1-04/2013/प0रा0/94(आ)/पटना, दिनांक 04/03/2014

प्रेषक,

रमाशकर प्रसाद दपतुआर,
संयुक्त निदेशक-सह-संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद।

विषय:- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2013-14 में द्वितीय किस्त के रूप में राज्य की पंचायती राज संस्थाओं को राज्य के शुद्ध करों के अंतरण से प्राप्त होनेवाली राशि में से जिला परिषदों, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों को उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र तथा पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों को अन्य विकास कार्य के लिए 302.141 करोड़ रु0 (तीन अरब दो करोड़ चौदह लाख दस हजार रु0) तथा असंबद्ध अनुदान के रूप में 89.565 करोड़ रु0 (नवासी करोड़ पाँच लाख पैंसठ हजार रु0) कुल-391.706 करोड़ रु0 (तीन अरब एकानवे करोड़ सात लाख छः हजार रु0) का आवंटन।

नहाशय

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि राज्यादेश संख्या 01 दिनांक 30.04.2013 द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2013-14 में द्वितीय किस्त के रूप में राज्य की पंचायती राज संस्थाओं को राज्य के शुद्ध करों के अंतरण से प्राप्त होनेवाली राशि में से जिला परिषदों, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों को उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र तथा पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों को अन्य विकास कार्य के लिए 302.141 करोड़ रु0 (तीन अरब दो करोड़ चौदह लाख दस हजार रु0) तथा असंबद्ध अनुदान के रूप में 89.565 करोड़ रु0 (नवासी करोड़ पाँच लाख पैंसठ हजार रु0) कुल-391.706 करोड़ रु0 (तीन अरब एकानवे करोड़ सात लाख छः हजार रु0) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। तदनुसार संलग्न विवरणी 1 एवं 2 के अनुसार निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को जिलों के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

2. राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिल के उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद होंगे, जो आवंटित राशि का व्यय एवं उपयोग विभागीय राज्यादेश संख्या 01 दिनांक 30.04.2013 (प्रतिलिपि संलग्न) में निहित अनुदेश के आलोक में करेंगे।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-एम-4-05/98-2561 वि0-(2) दिनांक 17.04.1998 एवं 4981 दिनांक 16.05.2013 में निहित निदेश के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

Attested

18/3/14
Deputy Development Commissioner
Cum Chief Executive Officer
PANCHAYATI RAJ, ARARIA

4. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर विषयकित बजट शीर्ष इकाईयों का कोड एव मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय से लेखा संचरण समुचित ढंग से हो सके।
5. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये।
6. वित्तीय नियमावली, बजट, मैनुअल एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
7. 11 जिलों को द्वितीय किस्त की राशि इस शर्त के साथ उपलब्ध कराई जा रही है कि विभागीय पत्र संख्या-34 दिनांक 02.01.2014 के अनुदेशों के अनुरूप उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद अनुपालन करेंगे। उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद (बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर, जहानाबाद, सीवान, पश्चिमी चम्पारण, बांका, किशनगंज, दरभंगा, पूर्णियाँ) द्वारा राशि की निकासी विपत्र पर इस आशय के प्रमाण-पत्र के बाद ही की जाएगी। महालेखाकार बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेज जाय।
8. राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2013-14 में (माँग संख्या-16) निम्नांकित बजट शीर्ष एव विपत्र कोड के अंतर्गत की जाएगी:-

जिला परिषदों के लिए

गैर योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघु शीर्ष-196-जिला परिषदों/ जिला स्तर की पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0007-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जिला परिषदों को अंशदान विपत्र कोड N2515001960007, विषयशीर्ष: 3105 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण एवं 3106 सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा।

पंचायत समिति के लिए

गैर योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघु शीर्ष-197-ब्लॉक पंचायतों/ मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0004-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ब्लॉक पंचायतों का अंशदान विपत्र कोड-N2515001970004, विषयशीर्ष 3105 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण एवं 3106 सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा।

Attested

9.8.21
Deputy Development Commissioner
Executive Officer
ZILA PARISHAD, ARARIA

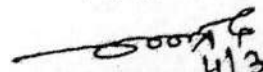
ग्राम पंचायतों के लिए

गैर योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघु शीर्ष-198-ग्राम पंचायती को सहायता- उपशीर्ष-0009-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायती को अश्वदान पत्र कोड V2515001980009, विषयशीर्ष 3105 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण एवं 3106 सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा।

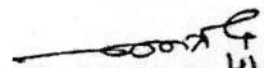
9 राशि की निकासी संबंधित जिला के जिला कोषागार से की जायेगी। राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 270 के अनुसार (बी.टी.सी. फार्म 42 में) की जायेगी तथा बिहार वित्त नियमावली के नियम-342 में निहित अनुदेशों के अनुरूप विगत वर्ष तक उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार को निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध कराई जाएगी।

10 प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

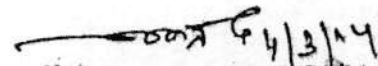

4/3/14
संयुक्त निदेशक-सह-संयुक्त सचिव।

आपाक- 5प/गैर योजना-1-04/2013/...../पं0रा0, 94(आ9) पटना, दिनांक 04 / 03 / 2014
प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/संबंधित जिला पंचायत राज पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

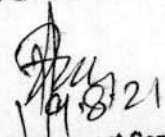

4/3/14
संयुक्त निदेशक-सह-संयुक्त सचिव।

आपाक-5प/गैर योजना-1-04/2013/पं0रा0/ 94(आ9) पटना, दिनांक 04 / 03 / 2014
प्रतिलिपि-संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित प्रमंडलीय उप निदेशक, पंचायती राज प्रमंडल/आंतरिक वित्तीय सलाहकार तथा आई0 टी0 मैनेजर, पंचायती राज विभाग बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई0 टी0 मैनेजर, पंचायती राज विभाग को निदेश दिया जाता है कि वे इस विभाग के वेबसाइट पर डालेंगे एवं संबंधित उप विकास आयुक्त सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को e-mail करेंगे।


4/3/14
संयुक्त निदेशक-सह-संयुक्त सचिव।

Attested


14/3/21
Deputy Development Commissioner
Cum Chief Executive Officer
ZILA PARISHAD, ARARIA